Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017 RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा सत्यमेव जयते

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

o"k 15 vid 06 30 tu 2016 eY; 5 #i;s

प्रधान की कलम से

प्रशासनिक विफलता बनाम जाट आरक्षण

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

लोकतंत्र में हर व्यक्ति व समाज को अपना हक मांगने का मौलिक अधिकार है लेकिन अगर किसी को संघर्ष व आंदोलन से भी उनका वाजिब हक ना मिले और यहां तक कि मिला हुआ अधिकार भी छिन जाए तो उसके आत्म सम्मान व भावनाओं को ठेस पहुंचना स्वभाविक है। जाट वर्ग के साथ आरंभ से ही आरक्षण के मुद्दे पर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या पूरे देश में 36 प्रतिशत आंकी गई है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य आंकड़ों के मुताबिक ओ बी सी की संख्या पुरे राष्ट्र में 30 प्रतिशत है। इन्ही आंकड़ों को आधार मानकर आज ओ बी सी के 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे में सभी शिक्षा संस्थानों व सरकारी सेवाओं में करीब 75 जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल किया गया है। इसलिए जाट आरक्षण पंजाब व हरियाणा जैसे जाट बाहुल्य क्षेत्रों में और भी वैध व जायज बन जाता है। पूरे राष्ट्र में 8.25 करोड़ व हरियाणा में 29 प्रतिशत जाट वर्ग से हैं जिनका मुख्य धंधा खेती बाड़ी है, जो कि आज घाटे का धंधा बन गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात पिछड़े वर्गों, अनुसचित जन जातियों तथा अन्य गरीब वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं। यह प्रावधान 1993 के ओ बी सी अधिनियम में भी किया गया है जिसकी प्रत्येक 10 वर्ष बाद समीक्षा करके, अन्य पात्र वर्गों को आरक्षण की सुचि में शामिल किया जाना था लेकिन राजनैतिक स्वार्थों से आज तक ओ बी सी जातियों की पुनः समीक्षा नहीं हो पाई जिस कारण जाट वर्ग जैसे पात्र वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया।

आरक्षण के प्रावधान के लिए भारत सरकार ने 29 जनवरी 1953 को संविधान की धारा 340 के तहत काका केलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया जिसने 20 मार्च 1995 को अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की लेकिन कमीशन अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए आर्थिक व सामाजिक विषयों के अध्ययन में उलझा रहा जिस कारण यह रिपोर्ट संसद में पेश न की जा सकी और जाट वर्ग की पिछड़ा वर्ग की आरक्षण की मांग पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद भारत सरकार ने 1 जनवरी 1979 को बी पी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की। लंबे समय के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री बी पी सिंह की सरकार द्वारा 13 अगस्त 1990 को लागू किया गया। मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए धारा 15(4) के तहत केवल दो शर्तों-आर्थिक पिछड़ापन तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार माना जबकि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार को नकार दिया। इसलिए केवल दो ही शर्तों के आधार पर अहिर, गुर्जर, सैनी, लोहार, कुम्हार, सुनार, खाती व कंबोज आदि जातियों को पिछड़ा मानकर 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. वी पी सिंह की उप प्रधानमंत्री व किसान नेता जन नायक चौ० देवीलाल के साथ अनबन होने के कारण रंजिशवश जाट वर्ग जैसी अन्य जातियां जो सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ-साथ आर्थिक तौर पर काफी कमजोर है, को आरक्षण सं वंचित रखा, जिस कारण से समाज के अन्य वर्गों में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर काफी हंगामा हुआ और रोषस्वरूप असंख्य युवाओं ने आत्म हत्याएं तक कर डाली।

संविधान की धारा-15 डी व 16(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों विशेषकर जिनका सरकारी सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में बहुत कम प्रतिनिधित्व है, के लिए ओ बी सी कोटे के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इस संदर्भ में जन नायक स्व० चौधरी देवीलाल के नेतृत्व वाली सरकार ने स्व० चौ० हुकम सिंह के मुख्य मंत्री काल में हरियाणा प्रदेश में 7 सितंबर 1990 को हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन (जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग) की स्थापना की। इस आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण करके व सभी कानूनी पहलूओं पर विचार करके हरियाणा सरकार को 31 दिसंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार अहीर, बिश्नोई, मेव, गुर्जर, जाट, जट-सिक्ख, रोड़, त्यागी, सैनी व राजपूत जातियों को ओ बी सी कोटे के तहत आरक्षण सूचि में शामिल करने की सिफ्ज़रिश की।

कमीशन की रिपोर्ट को राज्यमंत्री परिषद से अनुमोदित करवाकर दिनांक 2अप्रैल 1991 को अधिसूचना क्रमांक 395-एस.डबल्यु(1)-91 द्वारा यथावत अधिकसूचना जारी की गई,

'k"k i`t&2 ij

’k"k i:t &1

लेकिन उस समय सरकार बदल गई तथा नवगठित सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने द्वेष भावना से जाट, जट-सिक्ख, बिश्नोई, रोड़, त्यागी को छोड़कर आयोग द्वारा सिफारिश की गई अन्य सभी जातियों - अहीर, मेव, गुर्जर, सैनी आदि जातियों को ओ बी सी कोटे के तहत आरक्षण सूचि में शामिल कर दिया व सर्वोच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दायर करके आरक्षण की अधिसूचना को रद्द कर दिया जो कि इस वर्ग के प्रति राजनैतिक भेदभाव को स्पष्ट दर्शाता है।

इसके पश्चात लंबे समय तक विभिन्न जाट आरक्षण संघर्ष समितियों व खाप पंचायतों द्वारा प्रदेश में ओ0बी0सी0आरक्षण पाने के लिए सड़क यातायात, रेलवे ट्रैक पर धरने प्रदर्शन किए गए जिसमें कई युवाओं को पुलिसिया कार्यवाही से अपनी जान गवानी पड़ी और प्रदेश में करोड़ों के राजकीय कोष का नुकसान हुआ।

इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आरंभ से ही प्रदेश सरकारों की नीयत स्पष्ट व सहानुभूति की नहीं रही। पूर्व हुड्डा सरकार ने चुनाव नजदीक आने पर जल्दबाजी में बिना कानूनी विसंगतियां दूर किए अपने वाह्यट बैंक की खातिर जाट सहित अन्य जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण दे दिया जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया और इसी आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भी रद्द कर दिया गया।

वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा भी उस समय सर्वोच्च न्यायालय में ओ0बी0सी0 जाट आरक्षण के खिलाफ दायर की गई याचिका की पैरवी में विशेष रूचि ना लेकर आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई और आरक्षण रद्द होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में पुनः विचार याचिका दायर कर केवल इस महत्वपूर्ण मामले पर लीपा-पोती की गई जिससे जाटों को ओ0बी0सी0 आरक्षण में वांछित लाभ मिलने की संभावना पहले ही काफी क्षीण हो गई थी। केंद्रीय सरकार अगर इस संदर्भ में वास्तव में गभीर होती तो पिछली सरकार के समय इस अध्यादेश में छोड़ी गई कमियों को दूर करके इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से प्रमाणित करवाकर पुनः यथावत लागू करना चाहिए था लेकिन इस प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करने की बजाय केवल जाट वर्ग को गुमराह किया गया।

वर्तमान हरियाणा सरकार ने भी पूर्व हुड्डा सरकार की गलती को दोहराते हुए अलग से बैकवर्ड क्षेत्र में सी कैटेगरी बनाकर जाटों सहित 6 जातियों को पिछड़ी श्रेणी में आरक्षण दे दिया जो कि अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण के दायरे से ज्यादा हो जाता है। यदि यह आरक्षण जाटों सहित अन्य जातियों को पिछड़ा वर्ग की बी कैटेगरी में ही 3 प्रतिशत का इजाफा करके दिया जाता तो यह आरक्षण की तय सीमा में ही यानि 47 से 50 प्रतिशत बनता जिस पर न्यायपालिका को कोई आपति नहीं होती। हरियाणा सरकार द्वारा जाटों को बैकवर्ड क्लास की अलग से बनाई गई 'सी' श्रेणी में दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण कोटे के संदर्भ में भी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सरकार द्वारा इस आरक्षण के संबंध में पास किए गए विधेयक को तुरंत मंत्रीमंडल द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करके निवेदन के साथ इस एक्ट को भारतीय संविधान की 9वीं सूचि में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए था और प्राथमिकता के आधार पर इस पर उस समय चल रहे संसद के मानसून सत्र में कानूनी प्रक्रिया मुकमल करके केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही के लिए प्रयास किए जाने जरूरी थे लेकिन सरकार द्वारा जान बूझकर यह जरूरी कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं की गई। इससे पहले पूर्व हुड्डा सरकार द्वारा भी इस वर्ग को स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत दिए गए आरक्षण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में पुरजोर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई जिससे इस वर्ग को मुश्किल से हासिल हुआ आरक्षण सफल होना मुश्किल लगता है, जो कि सरकार की दोषपूर्ण व पक्षपात नीति को दर्शाता है।

इसके इलावा प्रदेश सरकार द्वारा जाटों सहित 6 जातियों को बैकवर्ड क्लास की 'सी' श्रेणी में आरक्षण देने के लिए शुरू में ही समय रहते पिछड़ा वर्ग आयोग गठित नहीं किया गया और बाद में बहुत विलंब से इसके लिए आयोग गठित किया गया। आरक्षण पर मात्र औपचारिकता पूरी करके पूर्व हुड्डा सरकार द्वारा गठित के0सी0गुप्ता पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनः बैकवर्ड क्लास की 'सी' श्रेणी में आरक्षण दे दिया गया जिसकी सिफारिशें व कार्यवाही को पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह सरकार की पूर्व नियोजित जाट वर्ग को बहकाने की कुटनीति को दर्शाता है जिस कारण यह मामला फिर से कानूनी दावपेंच में उलझ गया है। सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों से आहत जाट वर्ग द्वारा फरवरी माह में शुरू किया गया आरक्षण आंदोलन सरकार व पुलिस प्रशासन की अक्षमता व विफलताओं के कारण इस वर्ग को इसका वाजिब हक दिलाने की बजाए इसके गौरवशाली सामाजिक रूतबे के लिए बदनामी का सबब बना दिया गया। इस आंदोलन में 30 निर्दोष व्यक्ति मारे गए और लगभग 2 हजार व्यक्तियों पर पिक एण्ड चूज नीति के तहत मुकद्दमें दर्ज कर दिए गए।

यह हर्ष का विषय है कि इस माह में जाट आरक्षण आंदोलन 15 दिनों तक पूर्णतया शांति व सदभावनापूर्ण माहोल में कानून का पालन करते हुए चलाया गया जो कि इसके आत्म सम्मान पूर्वक व गौरवशाली छवि के साथ संयम, धैर्य व सदभावनापूर्ण स्वरूप को दर्शाता है। यह आंदोलन सरकार व प्रशासन के आश्वासन के बाद 31 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया लेकिन अगर सरकार ने इस महत्वपूर्ण मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करके शीघ्र कोई कारगर समाधान नहीं निकाला तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस बार सरकार व पुलिस प्रशासन का भी जाट आंदोलन के प्रति सदभावनापूर्ण व सकारात्मक रवैया रहा है जो कि वास्तव में सराहनीय है।

फरवरी माह के जाट आंदोलन में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका शर्मनाक, लगाहीन, उदासीन रही। उनकी हर विफलता का ठीकरा जाटों के सिर फुटता रहा। अक्सर कोई भी आंदोलन समय

रहते अगर नहीं संभाला गया तो यह 'मान मनोविज्ञान' के तहत हुड़दंगबाजों से असामाजिक तत्वों के हाथ लूट-खसूट और आगजनी तक पहुंच जाता है। यहीं इस आंदोलन में भी हुआ। जाट-गैरजाट सामने आ गए। सताधीशों को पहले से ही सचेत होना चाहिए था जबकि उन्हे समय रहते सूचित कर दिया गया था। जाट नेताओं को बुलाकर मिल बैठकर समस्या का समाधाना निकाला जा सकता था। उनकी विफलता को राजनीति के घाघों ने और आग दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी बीरेंद्र सिंह की भूमिका सर्व विदित है। अब तक कांग्रेस और इनेलो ने आरक्षण के मुद्दे पर जाटों को समर्थन खुलकर दे दिया है लेकिन सरकार की नीयत में खोट है इसीलिए मामला कोर्ट में कानूनी दावपेंचों में फंसा हुआ है। किसी को सामाजिक ताने-बाने के टूटने का कोई मलाल नहीं है। हर कोई अपनी-अपनी ढफली बजा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी जाट-गैर जाट में बंटते नजर आ रहे हैं।

जाट नेताओं ने शांति तथा सदभावना की अपीलें की। सर्वधर्म सभाएं बुलाई लेकिन राजनैतिक परिपक्वता में कमी और प्रशासनिक असफलता में आंदोलन पूरी तरह से हुल्लड़बाजों और असामाजिक तत्वों के हाथों में चला गया। प्रदेश एक सप्ताह तक ठप्प हो गया। करोड़ों, अरबों को नुकसान हुआ। प्रदेश के वितमंत्री तथा कृषि मंत्री तक के घरों को अग्नि की भेंट चढा दिया गया। 12 फरवरी को शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ आंदोलन जिसमें सड़क तथा रेल मार्ग अवरूद्ध किए गए थे, 18 फरवरी तक समाज जाट-गैर जाट आदोलन बन गया। आपस में क्लेश भी हुए, निर्दोषों की जाने गई, घायल हुए। बच्चे, बूढे आंदोलन की आग में फंसे बेबस और लाचारी का दामन थामे रह गए क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं था और व्यवस्था भी नही। ऐसे में भी सामर्थनुसार आश्रा दिया गया। दूध-पानी रोटी की व्यवस्था की गई लेकन चोरी छिपे क्योंकि हिंसक आंदोलनकारी उन्हे ललकारते रहे। कुछ हुल्लड़बाज भी इसमें कूद गए जिन्हे आन्दोलनकारी रोक ना पाए और प्रशासनिक अधिकार अपने को बचाने में लग गए। लूट खसूट आगजनी शुरू हो गई। ऐसे में जाटों ने व्यक्तिगत रूप से फंसे राहगिरों को अपने घरों में आश्रय दिया लेकिन सरकारी गैरसरकारी संपतियों को नुकसान से बचाने में सफल ना हुए क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जिनका यह उतरदायित्व था, खुद को बचाने की व्यवस्था करते रहे या तमाशबीन बने रहे।

यह विडंबना है कि आज की केंद्रीय सरकार द्वारा भी जाट वर्ग के साथ आरक्षण मुद्दे पर दोगली नीति अपनाई जा रही है क्योंकि सतासीन दल के एक सांसद, श्री राज कुमार सैणी द्वारा सरेआम जाट वर्ग के विरूद्ध मीडिया, समाचार पत्रों व सार्वजनिक तौर से घृणित व भड़काऊ बयान बाजी की जा रही है और जाटों को ओ0बी0सी0 आरक्षण मिलने पर त्यागपत्र देने तक की धमकी दी जा रही है। बीजेपी शासन द्वारा इनके विरूद्ध कार्यवाही करना तो दूर सरकार के किसी भी सांसद व हरियाणा सरकार के किसी भी सतासीन विधायक द्वारा इस प्रकार की घटिया बयान बाजी की निंदा तक नहीं की गई।

वर्ष 1991 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित स्टेट कमीशन ने सर्वे करके रिपोर्ट दी थी कि जाट सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं फिर भी राजस्थान में जाटों को 27 अक्तुबर 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अधिसूचना जारी करके आरक्षण की सूचि में शामिल कर दिया गया। जाट आरक्षण के विरोध में आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रचार किया जाता है कि जाटों को ओ0बी0सी0 कोटे में शामिल करने से आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय ने भी 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी व अन्य केस में निर्णय दिया था कि संविधान की धारा 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता। इस संदर्भ में यहां वर्णित करना उचित होगा कि तामिलनाडू सरकार समय-समय पर बाहुल्य जातियों की मांग पर सरकारी सेवाओं व शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण बढ़ाती रही है और वर्तमान तालिनाडू में सरकारी सेवाओं में 69 प्रतिशत आरक्षण है और तामिलनाडू सरकार द्वारा 19 जुलाई 1994 को राज्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति अधिनियम 1993 अधिनियम 45 आफ 1994 के तौर पर पारित किया गया है। इसलिए सरकार द्वारा जाट आरक्षण की कानूनी विसंगतियों को दूर करके हरियाणा में भी आरक्षण पुनः बहाल किया जा सकता है।

वास्तव में केंद्रीय सरकार के 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा एक किसान कोटा है जो कि जाट वर्ग के इलावा गुर्जर, सैनी, अहीर, बिश्नोई, बैरागी, लबाना व कंबोज आदि सभी काश्तकार जातियों के लिए बनाया गया है और जाट वर्ग अपने जैसी इन सभी जातियों के लिए सदैव आरक्षण की न्यायोचित मांग करता रहा है और इस वर्ग ने हमेशा अन्य सभी जातियों को आरक्षण दिलाने में भरपूर सहयोग दिया है लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग कुछ राजनैतिक ताकतों व स्वार्थी राजनीतिज्ञों के बहकावे में आकर जाट आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आज समय की जरूरत है कि केंद्रीय व प्रदेश सरकार को अपनी सूझबूझ व विवेक से जाट आरक्षण के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करके किसान आरक्षण के तौर पर जाट वर्ग के लिए ओ0बी0सी0 जाट आरक्षण को पुनः लागू करना चाहिए।

1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तथा सर छोटू राम के समय में भी इस बहादुर कौम के लिए सैन्य, अर्धसैनिक व सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए कोटा आरक्षित रहा है लेकिन आजकल धीरे-धीरे केंद्रीय व राज्य सरकारों द्वारा भेदभावपूर्ण व स्वार्थपूर्ण नीति के तहत इस को खत्म कर दिया गया है। आरक्षण निर्धारण के लिए गठित किए गए मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में जाटों को शैक्षणिक तौर से पिछड़ा हुआ माना है इसलिए उस समय अगर इस सर्वेक्षण के आधार पर भी जाटों को ओ बी सी आरक्षण सूचि में शामिल कर दिया जाता तो सेना व अर्द्ध

सैनिक बलों में इस वर्ग की कम से कम एक लाख की नफरी का इजाफा होता। इसी प्रकार से इस वर्ग की मुख्य आजीविका- पुस्तैनी जमीन की जोतें बंटकर बहुत कम रह गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक औसतन एक परिवार की जोत आज घटकर एक से डेढ़ एकड़ तक सिमट कर रह गई है वह भी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के तहत एस ई जैड के नाम से औने-पौने दामों में खरीदकर धनाड्य कंपनियों को मंहगे दामों पर बेची जा रही हैं और वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा लाए जा रहे भूमि अधिग्रहण कानून से तो इस वर्ग की पुस्तैनी कृषि भूमि को छीनने का रास्ता काफी आसान हो जाएगा जिससे इस वर्ग के अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

इस वर्ग की पुस्तैनी जमीन का अधिग्रहण करने के बाद इनकी पुर्नस्थापना के लिए भी कोई कारगर योजना नहीं बनाई गई है जिस कारण यह वर्ग अपना कारोबार चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तथा कई बार तो अलग-अलग स्थानों पर जमीन खरीदकर गुजारा करने पर मजबूर हो रहा है। इस गौरवशाली समाज के साथ शुरू से ही विभिन्न सरकारों द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता रहा है। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भी सन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी स्थापित करने हेतू जाटों के 21 गांवों को उजाड़कर उनकी कृषि भूमि को 99 साल के पट्टे पर लिया गया था जिसका आज तक पट्टा अवधि पूरी होने पर भी कोई भुगतान नहीं किया गया है। अंग्रेजों का राज चला गया लेकिन किसानों की जमीन पर कब्जा करने का अभियान जारी है केवल इस अभियान का तरीका बदल गया है।

इसलिए इस वर्ग के लिए आजीविका के साधन बनाए रखने के लिए ओ बी सी कोटे के अंतर्गत दिए गए आरक्षण को पुनः बहाल किया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए समस्त जाट समाज को अपने खोए हुए ओ0बी0सी0 आरक्षण को पुनः प्राप्त करने हेतू समस्त जाट संस्थाओं, राजनेताओं व बुद्धिजीवियों की मदद से एकजुट होकर इस अहम लक्ष्य को पूरा करने के लिए सांझे कार्यक्रम द्वारा केंद्रीय स्तर पर सुदृढ़ संगठन बनाकर संघर्ष करना होगा। विभिन्न संस्थाओं, खाप पंचायतों व संघर्ष समितियों द्वारा आरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को संयुक्त प्रयोसों व मार्ग-दर्शन द्वारा अधिक सूझबूझ से चलाने की आवश्यकता है। यह आंदोलन इस माह के आंदोलन की तरह पूर्णतः सदभावना, शांति व कानून के दायरे में होना चाहिए जिससे न तो आम जनता का और न ही सरकारी कोष का नुकसान हो और सरकार को भी सदभावना पूर्ण रवैया अपनाते हुए जाट वर्ग के आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए पुरजोर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

डा0 महेन्द्र सिंह मलिक
आई.पी.एस., सेवानिवृत,
प्रधान जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला एवं
अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति

वैवाहिक विज्ञापन

- SM for Jat Girl (DOB 08.11.90) 25.2/5'3" Employed as Staff Nurse in Govt. Hospital Sector 6, Panchkula Avoid Gotras: Dahiya, Kajla, Ahlawat. Contract: 09463881657
- SM4 (Divorcee Issue less) Jat Girl (DOB August1987),28.8/5'6", M.Tech. in Computer Engineering. Employed as Assistant Professor in Engineering College, Landra (Pb.) Avoid Gotras: Sangroha, Lohan, Panghal. Contract: 09464141784
- SM4 Jat Girl (DOB 07th Feb.1990) 25/5'10" B.Tech. (ECE), M.Tech. (ECE) from M.D.U. Rohtak. GATE Qualified. Running own Coaching Centre for graduate level students. Father Public Prosecutor Government of Haryana.Avoid Gotras: Kadian, Rathi, Sangwan. Contract: 08447796371
- SM4 Jat Girl 25/5'2" B.Tech (CSE) Avoid Gotra: Malik, Hooda, Joon. Contract: 09780336094
- SM4 Jat Girl 30/5'7" MBA, M. Com. Avoid Gotra: Roperia, Kharinta, Ghanghas. Contract: 09417350856
- SM4 Jat Girl (DOB September,1990) 25.9/5'5" M.Tech. Preparing for Civil Services & Cleared Preliminary PCS Exam. Avoid Gotra: Dhankhar, Ohlan, Malik. Contract: 09872511281, 09915711412
- SM4 Jat Boy (DOB 20.01.87) 28/5'8" Graduate & Having Professional Training in Lawn Tennis Course from Delhi Lawn Tennis Association. Engaged as Professional Lawn Tennis Coach in three Educational Institutions at Panchkula. Father Retd. Bank Officer, Brother in Central Govt. Having 15 Acre Land and own house at Bhiwani & Baltana (Pb.) Avoid Gotra: Sangwan, Punia, Ahlawat. Contract: 09417578085
- SM4 Jat Boy 27/5'8" B.A. LLB Doing Practise at District Court Panchkula. Father Senior Advocate at Chandigarh/Panchkula, Only Son own House Flat, Plot & 3 Acre Agricuclture Land, Arya Samaji Family. Avoid Gotra: Balyan, Nehra. Contract: 09416914340, 09996844340
- SM4 Jat Boy 28/5'11" B. Tech. M.Tech from NIT Jaipur Working as Planner in MNC Gurgaon. Avoid Gotra: Sangwan, Gulia, Bajiya Contract: 09467923726, 09466016340
- SM for Jat Boy 26.9/5'7" M.C.A. Employed as Project Engineer in ORACLE Co. at Banglore with Rs. 7 Lac package PA. Avoid Gotras: Grewal, Antil, Dalal. Contract: 09417629666

क्या भगत सिंह क्रांतिकारी आतंकवादी थे?

- एस.पी. सिंह
अध्यक्ष, सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्था

मैंने एशियन एज समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण 1 मई में भगत सिंह के विषय में आज के प्रसिद्ध इतिहासकारों द्वारा की गई टिप्पणियों को बड़े ध्यान से पढ़ा। इन इतिहासकारों ने दिल्ली विश्वविद्यालय मे इस निर्णय की आलोचना की है जिसमें हिंदी में छपी कुछ पुस्तकों की बिक्री और बांटने पर पाबंदी लगाई गई है जिसमें भगत सिंह को एक क्रांतिकारी आतंकवादी बताया गया है। इनमें मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर, इरफान हबीब, अमर फारूखी और डी.एन. झा शामिल हैं। इससे पूर्व भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने रामायण की एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया था जिसमें सीता, राम, लक्ष्मण व हनुमान के चरित्रों को लांछित किया गया था। पता नहीं क्यों ऐसी पुस्तकें पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले विश्वविद्यालय में इन बात की जांच क्यों नहीं की जाती?

भगत सिंह क्रांतिकारी थे। इस बात को सभी मानते हैं। उनका अंग्रेजों की दासता से देश को मुक्त कराने का अपना तरीका, अपनी सोच थी जो तत्कालीन गांधीवादी सोच से बिल्कुल अलग थी। मैं यह कहने में भी संकोच नहीं करूंगा की गांधी जी स्वयं उनकी इस सोच से घबराते थे कि कहीं देश को आजादी क्रांतिकारियों की बदौलत न मिल जाए और उनका स्थान गांधी जी से ऊपर माना जाये।

भगत सिंह कुल 24 वर्ष ही जिंदा रहे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय उनकी उम्र कुल 12 वर्ष थी और 12 वर्ष का वह बच्चा रात के सन्नाटे में जलियांवाला बाग गया, वहां की मिट्टी को एक बोतल में भरकर सदैव अपने पास रखा जो उनको इस बात की याद दिलाती रही कि हिन्दुस्तानियों ने कितना कष्ट व अपमान अंग्रेजों के हाथों झेला है। भगत सिंह उन नेताओं के विरुद्ध थे जो अहिंसा, समझौता, प्रार्थना व माफी की भाषा जानते थे। उनके जीवन का उद्देश्य एक ऐसी क्रांति पैदा करने का था जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण करने को रोके। सैंट्रल असैंबली बम कांड का उनका उद्देश्य बहरों को सुनाना था, जगाना था, किसी को मारना नहीं। जिस दिन बम फेंका गया उससे पहले दिन अपने मित्र के साथ भगत सिंह ने उस स्थान का निरीक्षण किया और ऐसा स्थान चुना जहां पर बम फेंकने के बाद किसी को शारीरिक क्षति न पहुंचे। बम फेंकने के बाद भी वह तब तक इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे जब तक सुरक्षा कर्मियों को यह आभास नहीं हो गया कि वे किसी भी व्यक्ति की हत्या करने के लिए नहीं आए हैं और उन्हें पकड़ लिया गया। वे कहते थे– ''मेरे लिए फांसी कोई सजा नहीं है। मुझे तोप के मुंह में रख दो और उड़ा दो।'' वायसरॉय को उन्होंने पत्र लिखा कि मैं युद्ध बंदी हूं, मुझे गोली मार कर उड़ा दो। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जिसके लिए मुझे फांसी दी जाए। गांधी जी ने भी गांधी इर्विन पैक्ट पर हस्ताक्षर करते समय ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं रखी कि भगत सिंह को आजाद किया जाए। उन्होंने सिर्फ सजा को कुछ दिन के लिए मुल्तवी करने की बात की थी क्योंकि कराची में कांग्रेस अधिवेशन होना था। सजा कम करने की भी कोई शर्त उन्होंने नहीं रखी। उन्होंने स्वयं से हर्बर्ट एर्मशन को बताया कि हमने देश में शांति के सभी इंतजाम कर लिए हैं और अगर उन्हें फांसी दी जाती है तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। गांधी जी के लिए संधि अधिक महत्वपूर्ण थी बनिस्पत इसके कि क्रांतिकारियों का जीवन बचाया जाए। जवाहर लाल नेहरू ने उनके बारे में लिखा– The magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India. They died so that India may live. सांडर्स हत्याकांड के बाद यह कथन कि एक पुलिस आफिसर की मृत्यु ने यह दिखा दिया है कि हिन्दुस्तान की जनता मरी नहीं है, उनका खून ठंडा नहीं है। वे अपने देश की रक्षा व सेवा में अपने को किसी भी हद तक न्योछावर कर सकते हैं। भगत सिंह ने एक बार सुखदेव से कहा था "Brother, I can renounce everything at the time of need. These things should not be hindrance in the way of man, provided he is a man." भगत सिंह ने जो संदेश नौजवानों को दिया वह व्यर्थ नहीं गया। उनकी मश्त्यु से देश ने वह प्राप्त किया जो वे चाहते थे। पंजाब में वे गांधी जी से भी अधिक प्रसिद्ध हो चुके थे और जब गांधी जी मार्च 29–31 के कराची अधिवेशन में लाहौर से कराची जा रहे थे, उनका रास्ते में काले झंडों से स्वागत किया गया। उस समय भगत सिंह गांधी जी से कहीं अधिक प्रिय नेता हो चुके थे। कराची अधिवेशन के समय– गांधी जी वापिस जाओ और डाउन विद गांधी के नारे भी लगाए गए। अधिवेशन में भगत सिंह को क्रांति का अग्रदूत माना गया था। स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन में कहा था– वे क्रांति के उद्भव के अनमोल प्रतीक हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जब उनके पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल के सामने यह बात रखी कि प्रोसिक्यूशन के पास भगत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, भगत सिंह ने अपने पिता को एक बहुत तीखा पत्र लिखा जो कि अंग्रेजी दैनिक द ट्रिब्यून ने अपने 4 अक्तूबर 1930 के अंक में छापा था–

"I was astounded to learn that you had submitted a petition to the members of the special Tribunal in connection with my defence. This intelligence proved to be too severe a blow to be borne with equanimity. It has upset the whole equilibrium of my mind. I have not been able to

understand how you could think it proper to submit such a petition at this stage and in these circumstances. In spite of all the sentiments and feelings of a father, I don't think you were at all entitled to make a such a move on my behalf without even consulting me. Father, I am quite perplexed. I fear I might overlook the ordinary principles of etiquette, and my language may become a little bit harsh while criticizing or rather censuring this move on your part. Let me be candid. I feel as though I have been stabbed in the back. Had any other person done it, I would have considered it to be nothing short of treachery. But, in your case, let me say that it has been a weekness- weakness of the worst type... I want that the public should know all the details about this complication and, therefore, I request you to publish this letter."

उनकी मृत्यु के पश्चात् किसी कवि ने लिखा है–

वो भगत सिंह जिसके गम में दिल नाशाद है।
उसकी गर्दन में जो डाला था वो फंदा याद है।।

भगत सिंह उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे। उन्होंने लिखा–

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है।।
वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां।
हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है।।
दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत।
मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी।।

जिस समय भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी उस समय फांसी से पूर्व अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने मजिस्ट्रेट महोदय से कहा था– मजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यशाली हैं कि आप अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मश्त्यु का आलिंगन कर सकते हैं।

क्या भगत सिंह क्रांतिकारी आतंकवादी हो सकते हैं?

चौधरी चरण सिंह : एक युग पुरुष

–यशपाल कादियान

चौधरी चरण सिंह उच्च कोटि के विद्वान, प्रमुख अर्थशास्त्री, प्रवीण राजनीतिज्ञ, कर्मयोगी, निडर व ईमानदार सिद्धांतों के धनी, भ्रष्टाचार व अन्याय के विरोधी, स्वाभिमानी, सच्चे गांधीवादी, सरदार पटेल की भांति लोहपुरुष, अमेरिकन राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की भांति दसादगी एवं सज्जनता के प्रतीक, महर्षि दयानंद सरस्वती के धार्मिक शिष्य, भारत के किसानों, मजदूरों और गरीबों के मसीहा थे। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पदों पर आसीन रहते हुए सरकारी साधनों के व्यक्तिगत प्रयोग और फिजूलखर्ची के घोर विरोधी थे। सरकारी विभागों में खर्च की कमी को व्यवहारिक रूप देते रहे। पूंजीपतियों और औद्योगिक घरानों से चुनावी चंदा लेने के घोर विरोधी थे।

किसान मसीहा सर छोटूराम के पश्चात चौधरी चरण सिंह ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गरीबी एवं अभाव को बहुत नजदीक से देखा और किसानों मजदूरों और गरीबों की दयनीय दशा को देखा, समझा और संपूर्ण जीवन इन वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। जनता उनको इसलिए प्यार व आदर नहीं करती थी कि वे उत्तर प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री, मुख्यमंत्री, देश के गृहमंत्री, उप–प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जनता के बीच रहकर उनके दुखदर्द को समझा और समाधान में सारा जीवन लगे रहे। जनता उनको दिल से आदर मान–सम्मान करती थी। वह जनता के हृदय सम्राट थे।

चौधरी चरण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में लंबे संघर्ष से संसद में खुद किसान और मजदूर समस्याओं की बहस तो पैदा कर दी। अब सत्ता चाहे किसी की भी हो, लेकिन किसानों और मजदूरों को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलनों में चौ. चरण सिंह के चिंतन के आंकड़े चर्चा का विषय रहते हैं। उनके संख्यात्मक एवं आंकड़ात्मक आधार पर ही प्रायः किसानों की मांगे होती हैं। ग्रामीण अर्थशास्त्र का व्यावहारिक चिंतक उन जैसा दूसरा कोई नहीं। वह वर्तमान शताब्दी के राजनेताओं से एकदम भिन्न थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था।

पारिवारिक इतिहास, जन्म एवं शिक्षा प्राप्ति :

चौधरी चरण सिंह के दादा जी बदाम सिंह तेवतिया जाट राज्य घराने के थे जो भटौना गांव में बसे थे। चौ. बदाम सिंह के पांच पुत्र थे जिनके नाम लखपति सिंह, बूटा सिंह, गोपाल सिंह, रघुबीर सिंह और मीर सिंह थे। चौ. मीर सिंह अपने परिवार वालों के साथ भटौना से नूरपुर गांव जिला मेरठ में जाकर आबाद हो गए थे। इसी गांव नुरपुर में 23 दिसंबर 1902 चौ. मीर सिंह के यहां एक नूर का जन्म हुआ जिसका नाम चरण सिंह रखा गया। इनकी माता का नाम श्रीमती नेत्री देवी था। चौ. एक गरीब किसान थे जो छप्पर के घरों में रहते थे। चौ. मीर सिंह के कुल पांच बच्चे थे जिनके नाम चरण सिंह, श्याम सिंह, मान सिंह, रामदेवी और रिसालकौर थे। यानि चौ. चरण सिंह के दो भाई व दो बहनें थीं। बाल्यकाल से ही चौ. चरण सिंह ने पिता के साथ खेती का कार्य किया। अतः उन्होंने मिट्टी से लिपटे हाथ और पसीने की कीमत को भली भांति पहचाना।

चौ. चरण सिंह के गांव में स्कूल नहीं था तो इनको स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए पास के गांव ''जानी'' में जाना पड़ा।

आपने 1919 में मैट्रिक तथा 1921 में इंटर की परीक्षाएं पास कीं। सन् 1923 में आगरा कालिज से बी.एस.सी. तथा 1925 में एम.ए. (इतिहास) की उपाधि प्राप्त की और 1926 में एल.एल.बी. की डिग्री प्राप्त की।

1928 में आपने गाजियाबाद में वकालत आरंभ की। यहां आपने किसानों के झगड़ों को तहसील व न्यायालय में न लाने का सुझाव दिया अपितु पंचायती तौर पर निपटाने की सलाह दी। उनका किसान हित में यह बहुत बड़ा कदम था। इनको गरीबों और किसान मजदूरों के उत्थान और उन्नति का ध्यान सदा रहता था।

पारिवारिक जीवन :

चौ. चरण सिंह का हरियाणा से गहरा संबंध रहा है क्योंकि इनके पूर्वजों का बल्बगढ़ से गहरा संबंध रहा है। और इनका विवाह सोनीपत जिला की तहसील खरखौदा के गांव कुण्डल के प्रतिष्ठित जटराणा गौत्र के परिवार में चौ. गंगाराम की पुत्री गायत्री देवी के साथ 4 जून 1925 को हुआ। श्रीमती गायत्री ने जालंधर आर्य कन्या विद्यालय से मैट्रिक पास की। उल्लेखनीय है कि स्व. गंगा राम राणा का समस्त परिवार इस क्षेत्र का प्रमुख आर्य समाजी था जहां हर रोज हवन, यज्ञ होते थे और इस कारण इस परिवार में आरंभ से लेकर आजतक भी पुरुषों और महिलाओं को अच्छे संस्कारों के साथ उच्च शिक्षा दी जाती रही है। मूर्ति पूजा, दहेज प्रथा, शराब, फिजूल के आडंबरों का ये परिवार घोर विरोधी रहा है। इसी परिवार में प्रमुख दिल्ली के पूर्व सैशन जज छज्जू राम, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व उप–कुलपति एवं पूर्व राज्यपाल डॉ. सरुप सिंह, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉ. विरेंद्र लाठर तथा प्रस्तुत लेख के लेखक पत्रकार यशपाल कादियान का भी इस परिवार से रिश्तेदारी व घनिष्ठ संबंध रहा है। इस परिवार के सदस्य पूर्व विधायक ओम प्रकाश राणा, प्रमुख आर्य समाजी व समाजसेवी स्वर्गीय चौ. शीश्र राम, हरियाणा के पूर्व मुख्य वास्तुकार संसार चंद राणा, वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह राणा, प्रो. डॉ. वेद वत्ती इत्यादि भी हैं। उल्लेखनीय है कि इस परिवार की पिछली चार पीढ़ियों की महिलाओं और पुरुषों ने जालंधर, दिल्ली और चंडीगढ़ से उच्च शिक्षा ग्रहण की है। वास्तव में इस परिवार में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं के साथ ''बेटियों के अधिकार दिलाओ'' पर भी बल दिया जाता था। महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह परिवार पुराने रोहतक के क्षेत्र में प्रेरणा स्त्रोत रहा है। उनकी यह अमूल्य देन आज भी अग्रणीय है।

श्रीमती गायत्री देवी बहुत ही सुशील, कर्मठ, दयालु, सुशिक्षित, सभ्य, समझदार और ईमानदार महिला थीं। जिन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण तो अच्छे ढंग से किया ही अपितु चौ. चरण सिंह का भी राजनैतिक जीवन में कदम–कदम पर साथ दिया। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे उनकी पत्नी का हाथ होता है। यह कहावत चौ. चरण सिंह के ऊपर भी लागू होती है। ग्रामीण किसानों और मजदूरों की हर समस्या को सुनना और उनका समाधान करना उनकी धर्मपत्नी गायत्री जी की प्राथमिकता रही। जब देश के किसी कोने से पार्टी के कार्यकर्ता व आम जनता चौ. चरण सिंह को मिलने आती थी और चौधरी साहिब व्यस्त होने के कारण नहीं मिल पाते थे तो गायत्री देवी जी उनकी बात को बहुत ही आदर, मान–सम्मान से सुनकर उनका समाधान करती थी।

श्रीमती गायत्री देवी दो बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य और दो बार लोकसभा की सदस्य रही हैं। उन्होंने विधानसभा एवं लोकसभा में प्रभावशाली छाप छोड़ी। श्रीमती गायत्री देवी ने चौ. चरण सिंह को ऊंचे पदों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कदम–कदम पर चौ. चरण सिंह द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में गायत्री जी की महत्वपूर्ण एवं साहसिक भूमिका होती थी।

लेखक को गायत्री देवी जी से मिलने के अनेकों सुअवसर मिले जिसमें चौ. चरण सिंह व अपने बारे में अनेकों महत्वपूर्ण वृतांत बताये। साधारण कार्यकर्ता उन्हें ''माता जी'' के नाम से पुकारते थे।

चौ. चरण सिंह व श्रीमती गायत्री देवी के घर पांच पुत्रियों और एक पुत्र का जन्म हुआ। जिनके नाम सरोज, सत्या, वेद, डॉ. ज्ञान देवी और पुत्र चौ. अजीत सिंह हैं जो अनेकों बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और चौ. अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी मथुरा से सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गए लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

चौ. चरण सिंह का राजनीति में प्रवेश :

इन्होंने 1936 में पहली बार अंग्रेज ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित बड़े जमींदार चौ. दले राम के विरूद्ध छपरौली से चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी हुए। आप इसी क्षेत्र से 40 वर्ष तक उत्तर प्रदेश असैंबली के सदस्य रहे जो पूरे देश में एक उल्लेखनीय रिकार्ड है। 1948 से 1956 तक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। 1951 में प्रथम बार उत्तर प्रदेश में सूचना व न्यायमंत्री रहे। फिर डॉ. संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में कृषि एवं राजस्व मंत्रालय दिया गया लेकिन कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री से मतभेद फिर 1959 में आपको राजस्व एवं परिवहन तथा 1960 में गृह एवं कृषि मंत्री बने।

चौ. चरण सिंह पहली बार 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने लेकिन अपनी ईमानदारी, सिद्धांतों और नैतिकता के कारण कुछ वर्ष बाद इस्तीफा दे दिया।

प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के ''सहकारी कृषि प्रस्ताव का विरोध'' :

जनवरी 1959 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने ''सहकारी कृषि एवं खाद्यान्न का सरकारी प्रस्ताव'' रखा जिसका चौ. चरण सिंह ने डटकर विरोध किया और कहा कि भूमि को इकट्ठा करने और मजदूरों द्वारा खेती करवाने से पैदावार नहीं बढ़ेगी। यह योजना हमारे प्रजातंत्रीय जीवन के विरूद्ध दुष्कर और असफल है। इस योजना से पैदावार घटेगी और जनता के पैसे की बर्बादी होगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस घटना की सूचना उस समय सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी

जिससे चौ. चरण सिंह की छवि दूरे देश में साहसी, निडर और कृषि के बारे में गहरा ज्ञान रखने वाले नेता के रूप में हुई।

उस समय नेहरू की नीतियों के विरूद्ध सोवियत मॉडल और सहकारी खेती के विरूद्ध प्रचार किया जाता था कि ''ना तेरी बाड़ी ईख रहेंगे न रहेगी मेथी, कर देगी बर्बाद देश नै यह सहकारी खेती।''

आपातकाल में जेल में रहकर विपक्षी दल के नेताओं को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की :

25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया। चौ. साहब भी 25 जून 1975 की रात को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। श्री जय प्रकाश नारायण, मोरार जी देसाईं, राज नारायण और ताऊ देवी लाल को हरियाणा की जेलों में डाल दिया गया। इसी दौरान चौ. साहिब ने स. प्रकाश सिंह बादल के साथ विपक्षी एकता पर चर्चा की, मार्च 1976 में चौ. साहब को रिहा कर दिया गया। 23 मार्च 1976 को विपक्षी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रभावशाली भाषण दिया।

जनता पार्टी की उत्पति :

चौ. चरण सिंह का जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रही और जय प्रकाश नारायण का अपना हर प्रकार का सहयोग दिया। 1977 को हुए चुनाव में पूरे देश में घूम–घूमकर कांग्रेस पार्टी के विरूद्ध प्रचार किया जिस कारण जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला और कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से पराजय हुई।

जनता पार्टी के शासन में फौलादी पुरुष चौ. चरण सिंह बने देश के गृहमंत्रीः

बाबू जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी ने जनता सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई को घोषित किया और चरण सिंह को गृहमंत्री बनाया गया। उस समय के प्रमुख राजनेताओं, शिक्षाविदों ने माना कि देश आजाद होने के पश्चात समस्त गृहमंत्रियों के व्यक्तित्व देखने के बाद ज्ञात होता है कि सरदार पटेल के बाद दूसरा लौह पुरूष यदि गृह मंत्रालय में आया तो वह था चौधरी चरण सिंह। इनका व्यक्तित्व एक ऐसे लौह धातु से बना हुआ था जो अपनी अडिगता से टूट सकता था परंतु झुकना पसंद नहीं करता था। जिसमें अपने विचारों को साहसिक ढंग से रखने और उन पर अडिग रहने की क्षमता होगी वही कुशल प्रशासक होगा।

23 दिसंबर 1978 को 77वें जन्मदिवस पर किसान दिवस का आयोजन व 77 लाख की थैली भेंट की गई :

चौ. चरण सिंह देश के सफल गृहमंत्री और किसानों और मजदूरों के लोकप्रिय नेता थे जिस कारण मोरारजी देसाई व कुछ अन्य नेता इनसे ईर्ष्या रखते थे और चौ. साहब द्वारा लिए गए फैसलों में अड़चन डालते थे जिस कारण 30 जून 1978 को गृहमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। चौ. चरण सिंह के इस्तीफे से पूरे देश के किसानों और मजदूरों में जबरदस्त रोष उत्पन्न हुआ और 23 दिसंबर 1978 को वोट क्लब पर एक विशाल रैली का आयोजन हुआ जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया और 77वें जन्मदिवस पर 77 लाख रूपये की थैली भेंट की गई।

1. दि टिब्यून चंडीगढ़ ने ''इस रैली को संसार की सबसे बड़ी रैली बताया।''
2. द संडे स्टेटमैन दिल्ली ने इसे अति ''शांति वाली रैली'' बताया।
3. दि फोरटलाईट नई दिल्ली ''अब तक इतनी बड़ी रैली कोई नहीं हुई और इससे भारतीय राजनीति में एक अति आवश्यक संगठन की उत्पत्ति हुई है

इस रैली से चौ. चरण सिंह की ताकत को देखकर उनको देश का उप–प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री बना दिया गया। लेकिन जनता पार्टी का शासन नेताओं के अपने अहंकार और टकराव के कारण 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई सरकार को अल्पमत में आने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा।

प्रजातंत्र भारत में पहली बार किसान प्रधानमंत्री :

28 जुलाई 1979, बृहस्पतिवार को 5.35 बजे सायंकाल को चौ. चरण सिंह ने देश के पांचवें प्रधानमंत्री की शपथ ली। प्रधानमंत्री की शपथ लेकर सफदरजंग कोठी में आ गए।

उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में रेडियो पर भाषण में कहा कि ''गरीबी बेरोजगारी और आय व धन संपति के अंतर को दूर करने की पहल की जायेगी। छोटे कुटीर व लघु उद्योगों को बढ़ावा व कृषि को संपूर्ण बजट का 35 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा।'' तमाम पिछड़ी जातियों, गरीब वर्ग, अल्पसंख्य, हरिजन और असहाय की रक्षा तथा उन्नति की जाएगी।

चौ. चरण सिंह का स्वर्गवास :

चौ. चरण सिंह दिसंबर 1985 में पक्षाघात का शिकार हो गए जिस कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए। उनकी बोलने की और विचार शक्ति समाप्त होती गई। उपचार के लिए अमेरिका भी ले जाया गया परंतु कोई आराम नहीं हुआ। डेढ़ वर्ष बीमार रहने के पश्चात 29 मई 1987 को किसानों और मजदूरों के मसीहा का देहांत हो गया जिससे सारे देश में शोक छा गया। 3 दिन का राजकीय शोक मनाया गया।

आपका दाह संस्कार 31 मई 1987 को राजकीय सम्मान के साथ राजघाट के समीप किया गया जिसे बाद में ''किसान घाट'' का नाम दिया गया। लोगों ने आपके शरीर को फूलों से लाद दिया और अंतिम शव यात्रा में लाखों लोगों ने भाग लेकर अश्रुपूर्ण विदाई दी।

चौ. चरण सिंह जैसे युग पुरुष इस धरती पर कभी–कभी जन्म लेते हैं और अपने द्वारा जनहित के कार्यों से अमर हो जाते हैं। हमारा अभिमत है कि चौ. चरण सिंह वास्तव में राष्ट्रवादी, हिन्दू–मस्लिम एकता, किसान–मजदूर भाईचारे तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के करणधार थे। भारत माता के इस सपूत को हम नमन करते हैं।

सोचो, साथ क्या जाएगा

–नरेंद्र आहूजा

आज के इस भौतिकतावादी युग का तथाकथित प्रगतिशील मनुष्य विकास की अंधी दौड़ में पूरा जीवन इस विकास के नाम पर भविष्य की चिंता करते हुए अपने लिए गाड़ी, बंगला, धन–संपत्ति सुख–सुविधायें इकट्ठी करने में लगा रहता है। इन भौतिक सुख–सुविधाओं को पाने की अतृप्त लालसा में वह इन्हें पाने के साधनों की शुचिता पवित्रता पर भी ध्यान नहीं देता। भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में पीछे रह जाने के भय से तथा इस विकास की चकाचौंध के सम्मोहन से मंत्रमुग्ध मनुष्य अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक कर भौतिक सुखों की उस राह पर चल रहा है जो अंततः उसे उसके विनाश की ओर ले जा रही है। शायद हमारी स्थिति भेड़ों के उस झुंड की भांति है जो एक के पीछे एक विनाश के कुंए में गिर रही है।

वर्तमान की सुख–सुविधाओं तथा भविष्य की चिंता में घन–संपत्ति एकत्रित करते समय हम अपने अनमोल तन मानव जीवन के उद्देश्य को भूल चुके हैं। यह समस्त भौतिक सुख–सुविधायें केवल ईश्वर प्रदत्त साधन हमारे शरीर मात्र के लिए हैं और यह मनुष्य तन हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे पूर्व जन्मों के कर्मानुसार ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अधीन मिला है परंतु हम अपने इन साधनों अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को अपने अधीन रखने के स्थान पर भौतिक सुख–सुविधाओं के लिए अपनी मन बुद्धि इंद्रियों के अधीन हो चुकी हैं। अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर प्रदत्त साधनों के अधीन होकर हम ठीक उसी प्रकार अपने विनाश की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं जैसे कोई शराबी वाहन चालक नशे की अवस्था में वाहन को चला रहा हो और अंततः दुर्घटना कर बैठे। जबकि वेद भगवान ने हमें सईस नहीं रईस बनने का संदेश देते हुए कहा अश्वस्य वारो गोशपद्यके। अथर्व 20/129/18 अर्थात हे आत्मन् तू घुड़सवार होकर भी घोड़े के खुरों में कुट पिट रहा है। वेद भगवान ने खुद को पहचानने का अपनी शक्तियों को जानने का संदेश देते हुए कहा तू आत्मा है, घुड़सवार है– इंद्रियों का स्वामी है परंतु स्वामी होकर भी तू इंद्रियों के विषयों में फंसकर कुट पिट रहा है। तू घोड़े पर सवारी करने वाला रईस बन, घोड़े की सेवा करने वाला सईस मत बन। सामवेद में भी अहं गोपतिः स्याम्। कहकर ईश्वर से प्रार्थना की गई कि मैं इंद्रियों का स्वामी बनूं। यदि हम इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम कसकर उन्हें अपने वश में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से यह इंद्रियां अति चंचल हमें विनाश की ओर ले जायेंगी।

वैसे भी यदि हम चिंतन करें तो हम मनुष्य अपना सारा पुरुषार्थ परिश्रम वर्तमान के जीवन यापन या भविष्य की चिंता में करते हैं। यदि हम चिंतन करें कि भविष्य में हमारे साथ क्या रहने वाला है तो शायद यह समस्त भौतिक सुख–सुविधायें गाड़ी बंगला धन–संपत्ति या रिश्ते–नाते पति–पत्नी पुत्र कुछ भी तो हमारे साथ नहीं जायेंगे मृत्यु के उपरांत यह सब पीछे छूट कर यहीं रह जाने वाला है। यह सभी भौतिक सुख–सुविधायें शारीरिक सुख के लिए थीं और मृत्यु रूपी वियोग के उपरांत यहीं पीछे छूट जाने वाली है। अर्थात यह समस्त भौतिक संपदा ना हमारे जीवन काल में हमारी थी ना मृत्यु के उपरांत साथ जाने वाली है यह तो हमारे शरीर और इंद्रियों के सुख के लिए थी। यह तो केवल हम अपनी अज्ञानतावश अपनी इंद्रियों के अधीन होकर उनकी सुख–सुविधाओं में ही लगे रहते हैं।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर इन भौतिक साधनों संबंधी सुख–सुविधाओं के अतिरिक्त ऐसा क्या है जो हमारे लिए है और मृत्यु के उपरांत भी हमारे साथ जायेगा। इसे जानने के लिए हमें अपनी नित्यता और पुनः जनम के सिद्धांत को जानना होगा। योगेश्वर कृष्ण ने विषाद में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समझाया ''न हन्यते हन्यमाने शरीरे।।'' अर्थात आत्मा शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहाति नरो पराणि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए पहनता है वैसे ही यह शरीरधारी आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्यागकर नया धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु उड़ा नहीं सकती। आत्मा की नित्यता के साथ पुनः जन्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए योगेश्वर कृष्ण ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। पैदा होने वाले की मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है।

अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु के उपरांत हमारे अर्थात आत्मा के साथ क्या जाता है जिसकी प्राप्ति के लिए हम मनुष्य प्रयत्न वा पुरुषार्थ करें। इसके लिए कर्म फल सिद्धांत तथा ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को हमें समझना होगा। एक ही समय में एक बच्चा सड़क किनारे गरीब की झोपड़ी में और दूसरा समस्त सुख–सुविधाओं से परिपूर्ण सेठ के घर में पैदा होता है और ऐसा दोनों के पूर्व जन्मों में किए गए कर्मानुसार ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम।। अर्थात हमें अपने किए प्रत्येक शुभ वा अशुभ कार्य के फल को अवश्य भुगतना पड़ता है। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कर्म फल सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि हमारा पुरुषार्थ ही हमारे प्रारब्ध वा नियति का निर्माता है और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही संस्कार रूप में मृत्यु के उपरांत ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में फल रूप में हमारे साथ जाते हैं।

इससे यह सिद्ध हुआ कि हम मनुष्य जीवन में शारीरिक सुख–सुविधाओं नश्वर भौतिक संपदा को एकत्रित करने के लिए उनके पीछे भागते हुए दुष्कर्म या पाप रूपी कर्म करने के स्थान पर सच्ची संपति पुण्य परोपकार रूपी सद्कर्मों की ऐसी अमर संपति एकत्रित करें जिससे ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में हमारी अच्छी नियति प्रारब्ध वा भाग्य का निर्माण हो। यह भौतिक संपति तो मात्र शारीरिक इंद्रिय सुखों के लिए है जबकि सच्चा आत्मिक आनंद तो अपनी आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपासना में मग्न करके ईश्वरीय आज्ञा पालन करके सद्कर्म करते हुए परम आनंद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में है। इसलिए हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर ईश्वर की आज्ञा पालन करते हुए धर्मानुसार जीवन यापन करके ईश्वरीय उपासना में मग्न रह कर सद्कर्मों की अमर संपति एकत्रित करें जो सदा हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ जायेगी।

महिलाओं का श्रृगांर- हरियाली का त्यौहार-तीज

– अमरजीत

भारत को त्यौहारों का देश कहा जाता है, हर मौसम अपने साथ कई त्यौहार साथ लेकर आता है, जो त्यौहार हरियाली और खुशहाली लेकर आता है उसका इंतजार बहुत मीठा होता है। ऐसा ही एक त्यौहार है तीज का त्यौहार जो बरसात से लेकर पौधों पर नई कोपल, नए फूल नए फल और चारों और सावनी फसल की हरियाली लेकर आता है। किसान से लेकर महिलाओं को भी सावन के महीने का इंतजार रहता है, क्योंकि त्यौहार का मौसम के हिसाब से शुरूआत सावन के महीने से ही होती है और आपको पता ही है कि सावन का महीना पेड–पौधों के फलने– फूलने का सबसे बढिया समय होता है और इसमें सबसे पहला और हरियाली के साथ कदम ताल मिलाकर चलने वाला महिलाओं का विशेष त्यौहार तीज का आगमन होता है। इसे हरियाली के साथ जोड़कर हरियाली तीज भी कहते है। मौसम की शुरूआत करने वाला ही त्यौहार है तीज। एक हरियाणवी कहावत है कि'' तीज त्यौहार लाई, ले डूबी गनगौर''– कहने का प्राय यह है कि तीज से ही त्यौहार के आगमन की शुरूआत होती है और तीज के बाद एक के बाद एक लगभग हर पखवाड़े में कोई न कोई त्यौहार आता है।

तीज का त्यौहार प्रति वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महिलाएं हरियाली तीज के रूप में मनाती है। इस त्यौहार की विशेषता देखिए त्यौहार के आगमन के समय जब प्रकृति भी अपने पूरे शवाब में होती है, । बरसात का मौसम अपने चरम पर होता है और प्रकृति में सभी और हरियाली ही हरियाली होती है। जो इसकी खूबसूरती को दोगुना कर देती है, इसी कारण इसे हरियाली तीज भी कहते है।

परम्परा के अनुसार तीज सभी पर्वो के शुरूआत के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। इसी पर एक प्रसिद्व कहावत है:–

आ गई तीज बिखेर गई बीज, आ गई होली भर गई झोली, कहावत के आधार पर तीज पर्व के बाद त्यौहार का शीध्र आगमन होता है, और यह सिलसिला होली तक चलता रहता है।

महिलाएं और तीज :–

इस त्यौहार को महिलाएं अपने बच्चों एवं सहेलियों के सथ बड़ी खुशी से मनाती है। इस दिन महिलाएं सुबह–2 जल्दी–2 अपने घर का काम निपटाकर और सेवईयां (सॉयी) बनाती है, जिसे बच्चे से लेकर बूढे सभी बड़े चाव से खाते है और महिलाएं फिर इक्टठी होकर पनघट पर जाती है,और गीत गाती है–

झूलण लागी है मां मेरी बाग मैं री,
आए रही कोए संग सहेली चार,
झूलण लागी है मां मेरी बाग मैं री,
कोए 15 की मां मेरी, कोए 20 की री,
आए रही कोए संग सहेली चार,
कोए गोरी है मां कोए सांवली,
आए रही कोए संग सहेली चार,

इसी तरह एक अन्य गीतः–

तीजां का त्यौहार रितु सामण की,
खड़ी झूल पै मटकै छोरी बामण की,
क्यों तूं उंची पिंग चढावै,
क्यों पेड़ के नाड लुडावै
या लरज लरज करै डाहली जामण की
तीजा का त्यौहार रितु सामण की।

महिलाएं नजदीक किसी पेड़ पर एक–2 करके बारी–2 से झूलती है। देवर से विवाहित महिलाएं उन्हें झूलाने के लिए कहती है और गीत गाती है। तीज के त्यौहार की महिमा का वर्णन महिलाओं के गीतों में ही नहीं बल्कि हरियाणवी लोकगीतों, रागनियों में भी की जाती है, तीज पर एक हरियाणी प्रसिद्व रागनी हैः–

हां चौगरदे तै बाग हरया, घनघोर घटा सामण की,
होर छौरी गावै गीत सुरीले, झूली घली सामण की,
चौगरदे तै बाग हरया, घनघोर घटा सामण की
छौरी गावै गीत सुरीले, झूली घली सामण की,

सावन और तीज का अवसर ऐसा होता है कि कोई भी इससे अछूता नहीं रहता है एक गीत में बढी महिलाओं के बारे–

बूढी ए लुगाई मस्तायी फागण मैं,
आम की अमिया बौराई फागण मैं,

इस सावन के महीने में पेड़ पौधों पर फल के लगने की शुरूआत होती है, पौधों पर नई कोपल आनी शुरू हो जाती है। नई सब्जियों एवं फलों का मौसम शुरू हो जाता है, यही नहीं पक्षियों का प्रजनन काल भी इस महीने में सबसे ज्यादा होता है, कहने का अभिप्राय यह है कि उमंग और उल्लास का समय होता है और त्यौहार की जुदाई को समाप्त करने आती है तीज।

पीपल, जामुन व नीम के उॅचें लम्बे पड़ों पर पींग (झूला) डाला जाता है। सभी स्त्रियां नहा धोकर नए कपड़े पहन कर झूलेने के लिए श्रृगांर करके आती है । हरियाणा में महिलाएं सावन के पूरे महीने में तीज के त्यौहार का इंतजार करती है। क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा इन्तजार रहता है, सिंघरा और कौथली का।

सिघारा – शादी के पहले लड़की की मगनी के समय दिया जाता है।

कौथली की चर्चा सावन में हर बच्चे व महिला और पूरे परिवार में होती है। कौथली में विवाहिता महिलाओं के मायके से गेवर, फिरणी, शकरपारे, गुलगले, पुड़े, सुहाली, फल व कपड़े व अन्य सामान परिवार का कोई न कोई सदस्य लेकर आता है,और महिलाएं आपस में चर्चा करती है कि तेरी कौथली आया या नहीं, कब आवैगी और जिस महिला की कौथली आती है, वह पीहर से आए सामान को सभी पड़ोसियों को देकर आती है तथा अपने पीहर से आए सूट, तील (कपड़े) को पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर दिखाती है, और छोटे बच्चे अपनी मां से पूछते है, मां तेरी कौथली कद आवैगी।

इस सावन के महीने में अखबारों, टी.बी से लेकर दुकानदारों व हलवाई की दुकानों पर बनने वाली मिठाईयां (गेवर, फिरनी, सुहाली, शकरपारे) की चर्चा रहती है। तीज के त्यौहार के आगमन की पहचान तीज के त्यौहार से करीब–2 महीने पहले जिसे हम तीज कहते है, नामक जीव बिल्कुल लल मखमल की तरह मुलायम हमें धरती पर खुली जगह में चलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे बच्चे व बड़े सभी सावन के महीने में वर्षा होने पर पहली बार वर्षा में देख पाते है, इसी महीने के शुरूआत में आम के पौधे पर बौर (फल लगने के लिए) आता है।

हरियाली तीज के त्यौहार की बात चली है तो इसकी कथा के बिना इसे अधूरा की कहा जाएगा।

हरियाली तीज की व्रत कथाः–

किवंदती है कि पुरातन समय में देवी पार्वती एक बार अपने पति भगवान शिव से दूर प्रेम विरह की गहरी पीड़ा से व्याकुल थी, इस पीड़ा के कारण देवी पार्वती ने इस व्रत को किया था, पार्वती जी इस दिन पति परमेश्वर के प्रेम में इतनी लीन हो गयी कि उन्हें न खाने की सुध रही और न पीने की। इस तरह वह पूरे चौबीस धंटे व्रत रही और व्रत के फल के रूप में उन्हें अपने पति का साथ पुनः प्राप्त हुआ। तब से इस दिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए उपवास रखकर मनोकामनाएं पूरी होने का आर्शिवाद मांगती है।

इस व्रत को अविवाहित महिलाएं योग्य वर पाने के लिए करती है, विवाहित महिलाएं इसे अपने सुखी और लबें विवाहित जीवन के लिए करती है।

हरियाली तीज की व्रत पूजा विधिः–

इस त्यौहार में महिलाएं कुछ भी ठोस खाना नहीं खाती है, कुछ धार्मिक प्रवृति की महिलाएं इस दिन पानी भी नहीं पीती है। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती, पूरे दिन भजन गाती है, तथा हरि तीलिका व्रत की कथा को सुनाती है। कुछ जगहों पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात लाल मिट्टी से नहाती है,ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से महिलाएं पूरी तरह से शुद्व हो जाती है, कई जगह इस दिन झूला–झूलने की परम्परा है, हरियाली तीज भारतीय शादी की परम्परा में पत्नी के महत्व को दर्शाती है।

हांलाकि समय के साथ त्यौहार को मनाने के तरीके में बदलाव जरूर आया है। परन्तु आज भी इस पर्व की निष्ठा करने वाले भक्तों में कोई कमी नहीं आई है। हर महिला का मन कभी न कभी झूलने को अवश्य करता है। आजकल पेड़ पर डालने वाले झूलों की बजाए दूसरे शहरों में लगने वाले मशीनों से चलने वाले झूलों ने ले ली है। परन्तु जो आनन्द महिलाओं को पेड़ पर डलने वाले झूलों एवं इक्टठी होकर गीत गाकर झूलने का जो आनन्द मिलता है वो इन मशीन वाले झूलों में नहीं मिलता। हालांकि आजकल सुहाली और गुलगलों की जगह फल और मिठाईओं ने ले ली है, आज भी तीज नाम जीव सावन क महीने में तीज से पहले धरती पर खुले मैदानों चलते हुए दखे जा सकते है। महिलाएं ही नहीं बच्चे भी इस त्यौहार पर नए कपड़े पहनते है।

यह त्यौहार भाई– बहन और महिलाओं के सुसराल और पीहर का गहरा रिश्ता दर्शाता है। भाई बहन की सुसराल में कौथली लेकर जाता है, इससे भाई बहन ही नहीं बल्कि सुसराल और पीहर में गहरा रिश्ता कायम होता है।

आज समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। परन्तु हमें अपने त्यौहारों के महत्व का नहीं भूलना चाहिए और उसे बच्चों के साथ मनाना चाहिए, हमारी संस्कृति को बचाना चाहिए, क्योंकि समाज को यदि कोई एकता व सौहार्दय के सूत्र में कोई बांध सकता है वह त्यौहार है। त्यौहार हमारी जिन्दगी का अहम हिस्सा है, हमें त्यौहार मनाना चाहिए और अपने वाली पीढी को भी इससे जोड़ना चाहिए ताकि समाज में प्रेम, सौहार्दय व भाईचारा बना रहे।

अब तो आ जाओ साहब

–डॉ. संतोष दहिया

हरियाणा जल चुका है, हरियाणा की अस्मत लुट चुकी है। अब तो लोग घर आने से पहले जाति पूछने लगे हैं। दुकान का बोर्ड देखकर सामान खरीदने लगे हैं। आपको बधाई हो साहब क्योंकि आप अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। लेकिन क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों मासूम लोगों की भावना से खेल रहे हैं आप? आपको जरा सा भी एहसास है कि आपने किया क्या है? नौजवानों की लाशों पर अपना महल खड़ा किया है आपने। लोगों का क्या कसूर था जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। और क्या कसूर था उनका जिनकी दुकानें जल गईं, मकान जल गए। क्यों घोल रहे हैं आप ये जात–पात का जहर? इतनी औछी राजनीति? धिक्कार है तुम्हें। क्या आने वाली पीढ़ियां माफ कर पाएंगी आपको? क्या आप शहीदों की शहादत को बदनाम नहीं कर रहे? ठीक ही कहा है किसी ने... 'नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ भी विदेशी तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने' बाबा साहिब अंबेडकर जातिवाद के धुर विरोधी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपना लिया था क्योंकि हिंदू धर्म में छुआछुत का भेदभाव था। ऐसी साजिश जो... आज आपने रखी है, वैसी ही एक साजिश ...तब रखी गई थी। जब हिन्दुस्तान आजाद हो रहा था। कुर्सी के लालचियों ने हिंदू और मुसलमानों में ऐसा जहर घोला जिसने हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए और आज तक 'हिंदू और मुसलमान का जहर लोगों के दिलों में नासूर बना हुआ है। वरना याद कीजिए ... 1857 की क्रांति में हिंदू–मुसिलम साथ–साथ लड़े थे। आजाद हिंद फौज में भी हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे। लेकिन इन कुर्सी के लालचियों ने ऐसी चाल चली कि भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। और आज आप जातीय स्तर की राजनीति करने लगे? छीः। इतनी औछी राजनीति? समाज को जाति के नाम पर बांट हरे हैं?

'कैसी सनकी हवा चल पड़ी, बस्ती उजड़ गई, हर चेहरे से लोकलाज की लोई उतर गई, कटे बरगदी रिश्ते... किस का कोई क्या कर लेगा, एक सियासी सड़क यहां से होकर गुजर गई।' लेकिन क्या हिंदूस्तान जैसी धर्म निरपेक्ष देश को जात या धर्म के नाम बांटा जा सकता है? नहीं। कदापि नहीं। लोग एक–एक तिनके को जोड़कर अपने घरों को बसाते हैं, अपना कारोबार शुरू करते हैं। और आप जैसे तुछ सोच के लोगों के कारण पल भर की एक चिंगारी उन्हें जलाकर राख कर देती है। क्यों? हमारे लोग भोले हैं, लगभग 40 फीसदी लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। उनको यह भी नहीं पता लगता कि कौन सा नेता कब आकर उनकी भावनाओं की आंच पर रोटी सेक कर चला गया। एक छोटी सी बात है कि अगर पड़ोस में कोई भूखा बैठा हो तो क्या कोई व्यक्ति अकेला रोटी खा पाएगा। नहीं। कभी नहीं। देखिए... भारत में केवल दो ही वर्ग हैं... एक वह वर्ग है जो कमा कर चलता है और दूसरा वह है जो लूटकर खाता है। आप एक कमेरे वर्ग को दूसरे कमेरे वर्ग से लड़ा रहे हो। हमारे देश की जो व्यवस्था है वह इतनी खराब है कि अनाज सड़कों पर सड़ता है और गरीब भूखा सोता है। जूती बनाने वाला नंगे पैर घूमने पर मजबूर है। बड़ी–बड़ी बिल्डिंग बनाने वालों के सर पर छत नहीं है। हमारे नौजवान भाई सुबह–सुबह इस उम्मीद से जाकर लाइन में खड़े हो जाते हैं कि कहीं उन्हें रोजगार मिल जाए लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटते हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फसल बेचकर भी खाली हाथ घर लौटता है तो बच्चे पूछते हैं कि पिता जी आने को कहा था कि जब फसल आएगी तो मैं तेरा कुर्ता पजामा सिलवा दूंगा। किसान अपने मासूम बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता और निराश होकर अपनी जीवनलीला ही समाप्त कर लेता है। क्योंकि आज किसान पूर्ण रूप से कर्जदार हो चुका है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं और आप जैसे राजनेता कहते हैं कि किसानों के लिए आत्महत्या एक फैशन बन गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस फैशन को कोई राजनेता भी एक बार अपना के देख ले। देश में आजादी से लेकर अब तक केवल वोट की राजनीति हुई है। क्या किसी ने उस गरीब की सहायता की जिसे सहारे की जरूरत थी। शायद नहीं। रही बात आरक्षण की। आज आरक्षण केवल अमीरों की मदद कर रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी उसका लाभ गरीब को नहीं मिल रहा है क्योंकि गरीब आज भी अनपढ़ है। क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि किसी ने अपने भाई की खातिर अपनी सीट या नौकरी छोड़ दी हो? नहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या एक साधन सम्पन्न भाई जैसे एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस अपनी ही बिरादरी के गरीब लोगों के लिए आरक्षण छोड़ सकते हैं? हां... छोड़ सकते हैं। लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि उसे कुछ नहीं लेना देना अपने भाई से। रही बात सिस्टम की... एक होनहार बच्चे को फेलियर घोषित करता है यह सिस्टम। अगर हर बार कम काबलियित का बच्चा जश्न बनाएगा तो उस बच्चे का नहीं बल्कि सिस्टम का फेलियर है। दादा धूला वाल्मिकी एक महान मल्ल योद्धा हुए हैं जो खामलैंड में घूमघूम कर युवाओं को पहलवानी के गुर सिखाया करते थे। किसी ने दादा धुला की जाति नहीं पूछी वह सबके लिए आददरणीय थे और हमेशा रहेंगे। शहीद–ए–आजम भगत सिंह ने आखरी वक्त में गुरुग्रंथ साहिब पढ़ने से इंकार कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्होंने गुरुग्रंथ साहब पढ़ा तो उनकी विचारधारा संकुचित मानी जाएगी। वो कहते थे कि मैं उस व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता जहां झाड़ू लगाने वाले का बेटा जहाज ही चलाता हो। हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हम टूटी–फूटी, विकृत नहीं बल्कि धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय से मुक्त एक ऐसी सुंदर दुनिया छोड़कर जाएं जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करें। क्योंकि गांव में जातियां रहती हैं। जातिवाद विकृत सोच की देन है। मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगी कि आप सब ऐसे लोगों को नकारे जो धर्म या जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं क्योंकि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।

जाटों का पुराना इतिहास

तथ्यों की जानकारी के आधार पर जाट शब्द व जाति का वर्णन करके इस लेख द्वारा युवा वर्ग को यह जानकारी दी गई है कि हम सब एक वर्ग में थे और 2378 से भी अधिक जातियों में बंट गये हैं।

फिरंगी सिखा गया है फूट की राजनीति
हिंदी हैं हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा।
पीले नाग चले गए अपना जहर छोड़कर
काले नाग पी रहे हैं अब मीठा खून हमारा।

व्याकरण जन्म दाता महर्षि पाणिनीय ने धातु पाठ तथा अष्टध्यायी संस्कृत व्याकरण के कई ग्रंथों की रचना की है। अष्टध्यायी गंथ का महर्षि पातंजली ने भाग्य किया है, जिससे उसका नाम महाभाष्य रखा गया है काशिका भी अष्टध्यायी का ही भाष्य है। आपको व्याकरण का सूर्य कहा जाता है। आप के रचित धातुपाठ (जो कि संस्कृत भाषाओं का पूर्ण भंडार है) में द्यातुओं के वर्णन में जट, झट संद्याते आदिगरणय परस्मैपदी द्यातु' आये हुए हैं। अर्थ होते है कि जट और झट द्यातु संड़ाघत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जट या जाट का एक ही अर्थ है। जट का रूप जाटानेम्त्र प्रकार बना है।

पाणिनीयष्टकम (अष्टाध्यायी) के अध्याय 3 पद 3 सूत्र 19 प्रकर्तरि च कार क संज्ञायाम से जादू धातु से संज्ञा में घ ञृ प्रत्यय होता है। जट व घञृ प्रव्यय के घ और ञृ की इतसंज्ञा होकर लोप हो जाता है। अ रह जाता है। अर्थात जट् व अ ऐसा रूप होता है फिर पाणिनीपाष्टकम् के अध्याय 7 पाद 2 सूत्र 116 अतः उपाधया से उपद्या अर्थात जट में के 'ज' अक्षर के 'अ' के स्थान पर वृद्धि अर्थात दीर्घ हो जाता है। जाट व अ त्र जाट शब्द बन जाता है।

जाट व शब्द है, और पहले भी था जिनके द्वारा बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित हो जावें, इस जत्थे व जाति के सदस्य को जट व जाट कहते हैं। केवल दो अक्षरों का शब्द जट या जाट कैसा उत्तम और भावपूर्ण अर्थ रखता है, यह इसमें विलक्षणता है। वर्तमानकाल में पंजाब प्रांत में सतलज नदी कं पास रहने वाली जाति को जट कहते हैं। उसी जाति को राजस्थान,ख उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि में जाट के नाम से संबांधित करते हैं। परमात्मा का एक नाम जट भी है, जो महाभारत अनुशासन पर्व 7 श्लोक के 89 में इस प्रकार है कि

महानरवो, महारोमा, महाकोशो, महाजटः।
प्रसन्नश्च, प्रसादश्च, प्रत्ययो, गिरिसाधनः।।89।।

अर्थ– महानरव, महारोमा, महाकोशो, महाजट, प्रसन्न प्रसाद, प्रत्यय गिरिसाधन यह शिव परमात्मा के नाम हैं, क्योंकि परमात्मा नित्य है, इसलिए उसके सब नाम जट सहित नित्य हैं।

एक प्राचीन कथन के अनुसार ब्रह्माजी ने स्वामी कार्तिकेय को सब प्राणियों का सेनापति निश्चित करके उनको उस पद पर अभिषिक्त किया। अभिषेक के समय स्वामी कार्तिकेय को विविध जनों ने अनेक वस्तुयें भेंट में दी। उनमें एक जट नामक सब सेनाध्यक्षों का आह्निपति भी था। इस कथा का उल्लेख महाभारत ग्रंथ के शल्य पर्व 44 और 45वें अध्यायों में आया हुआ है, जिसमें 45वें श्लोक 58 हैः

अक्षः संतर्जनों राजन् कन्दीकश्च तमोन्कृत।
एकाक्षों द्वादशाक्षश्च तथैवक जटः प्रभू।।58।।

अर्थ– हे! राजन अक्ष, संतर्जन, कुंदीक, तमोन्तकृत, द्वादशाक्ष और एक 'जट' सबका प्रभु अर्थात अध्यक्ष (स्वामी कार्तिकेय को भेंट दिये गये) हिंदुओं का एक बड़ा मसूह मानता है कि ब्रह्माजी सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुए थे। अब सृष्टी को बने लगभग सम्वत् 2061 विक्रमी यानी सन् 2011 ईसवी में 1972949110 वर्ष व्यतीत होंगे। यह तो स्पष्ट है कि इस कािा का संबंध ब्रह्माजी से है, इसलिए जट सेनापति को हुए लगभग इतना ही समय बीत चुका है, जितना ब्रह्माजी को।

योगीराज कृष्ण महाराज सम्राट जाट की 48वीं पीढ़ी में प्रकट हुए थे। सम्राट जाट बड़े प्रबल तथा प्रतापी नरेश थे। उनके नाम पर अनेक यादव वंश का दूसरा नाम जाट पड़ गया था। एक ही वंश के कई–कई नाम पड़ जाना प्राचीन परिपाटी रही है, जैसे कौरव व पांडव एक वंश के दो नाम पड़े थे। योगीराज कृष्ण महाराज जाट कुल में प्रकट हुए थे। इस बात की प्रमाणिकता को अब से लगभग 1000 वर्ष विष्णुपुराण के आधार पर अलबेरूनी ने अपनी भारत यात्रा संबंधी पुस्तक में स्वीकार किया है कि सम्राट जाट योगीराज कृष्णजी से पूर्व 48वीं पीढ़ी में उनके पूर्वजों से थे। इससे जाट शब्द की प्राचीनता का अनुमान लगा सकते हैं।

महाभारत में कुछ समय पूर्व भी सिंध प्रदेश के संबंध में जाटों की चर्चा आती है। अरबी भाषा की मुजमलातुल तवारीख में अंकित है कि दुर्योधन के शासनकाल में सिंध प्रदेश में जाट और मेंड जातियां थी। इनमें अक्सर युद्ध होते थे। कभी जाट विजय पाते थे तो कभी मेंड। अंत में जाटों की विजय हुई

और मेडों पर राज्य करने लगे। आखिर जाटों के एक सरदार के समझाने से जाट और मेंड शांतिपूर्वक रहने लगे। दोनों पक्षों की सम्मति से दुर्योधन की बहन दुःशाला को सिंध प्रदेश के शासन के लिए नियुक्त किया। हिव्ट्री ऑफ जाटस रचित प्रोफेसर कालका रंजन कानूनगो में भी इस बात का उल्लेख है। इस तरह महाभारत काल से पहले जाट शासनों का होना सिद्ध होता है।

जब इन्द्रप्रस्थ दिल्ली में सम्राट युधिष्ठिर का विचित्र सभा भवन जिसमें दुर्योधन ने जल को थल और थल को जल जान कर ठोकरें खाई थी जिसको मयदानव ने बनाया था और जो महाभारत युद्ध का कारण बना केवल दो शब्दों से। उस समय सम्राट युधिष्ठर ने बहुत से राजा–महाराजाओं के साथ ग्रह प्रवेश किया, जिसमें राजा जटासुर का उल्लेख मा सभा पर्व अ 4 श्लोक 25 में इस प्रकार है–

जटासुरो भद्रकाणां च राजा कुंति पुलिंदरचकिरातराजः।
तथाड्गवड्गौसह पूराड्रकेण पाग्ड्योड्रराजौ च महाअहृनकेणः।।25।।

अर्थ– भद्रक देशों का राजा जटासुर कुंति किरातराज पुणिंदतया अ, पुराड्रक, याराडय, अड्रराज और अंधक। अगले श्लोकों में और राजाओं के नाम है जो आये थे। सीाा भवन में प्रवेश पाये थे।

यह महाभारत युद्ध से पहले की बात है, जिसको पांच हजार वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं। राजा जटासुर भी जाट वंशज था। जिस तरह महाराजा पृथ्वीराज चौहान राज, और महाराजा जयचंद का राठौर राज था, उसी तरह राजा जटासुर को समझिये अनुष्राचीन काल में देवता या परमेश्वर को कहते सायम के अनुसार शब्द का प्रयोग बदलता रहता है बाबू जी सम्मान के लिए प्रयोग होता है, परंतु बाबू बदबू से बना शब्द है।

बाईबिल मकदस के पुराने अहदनामे में जाट और सीरिया देश की आदिम निवासी इसराईल का उल्लेख है। उसमें जाट नामक एक शहर का भी उल्लेख है, जो जाटों की राजधानी थी। जुलील एक जाट पहलवान का भी उल्लेख पाया जाता है। बाईबिल के अनुसार यह घटनायें अबसे लगभग हजार वर्ष पूर्व की है।

आर्य हिंदुओं में काकुस्थ, कौरव, पांडव तथा आदि वंशों के समान जाट भी एक वंश है जो बहुत प्राचीन है। इसी वंश में सम्राट जाट तथा योगीराज महाराज और सम्राट कनिष्क जैसे महापुरुषों सौभाग्य की बात है इन्हीं योगीराज श्रीकृष्ण ने जट या जाट संघ का निर्माण किया था अवशेष चिन्ह वर्तमान जट या जाट जाति है। आज भी बहुत से लोग को जट देवता भी है। जो पुरानी याद व संस्कार के कारण है।

महाभारत युद्ध से पूर्व सब जाति एक ही थी 2578 जातियों से भी अधिक जातियों में बंट हुई थी। अब इस बात का स्पष्ट करना उचित है कि महाराज जाट वंश में प्रकट हुए जिसे क्षत्रिय कुंवर रिसाल सिंह यादव प्रणीत ग्रंथ के 12, 13 पर योगीराज श्रीकृष्ण महाराज की अति करके स्वीकार है जिसमें भरतपुर के नाम भी आते हैं जो इस प्रकार हैं।

1. श्रीकृष्ण महाराज
2. ––––
3. ––––
4. बज्र,
5. कृतमानु
6. चित्रसेन और चल कर
90. भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल
91. वीर जवाहर सिंह
101. महाराजा ब्रजेंद्र सिंह है।

इमाम बुखरी ने निज निर्मितच पुस्तक किताब उल अदबउल मफाद में लिखा है कि एक बार हजरत मुहम्मद साहिब की धर्मपत्नी आयशा बीमार हो गई थी। उनके इलाज के लिए उनके भतीजों एक जाट वैद्य को बुलाया था। उस समय तक अरबी लोग भारतवासियों को जाट कहकर पुकारते थे।

इन सब तथ्यों से पता चलता है कि पुरानी जाति जाट थी जो बंटती चली गई और हाल की जातियों का रूप ले गई। कभी–कभी यह दूर देशों तक राज चलाती थी जो अब किसान बन गई। इन का जगाना ही देश में खुशहाली ला सकता है।

1. मेहनत न गर वर्ष दिन करता किसान हमारा पैदा न होता गल्ला न हो5ता घास चारा।
2. न मिली है ना मिलेगी तेरी मेहनत की कीमत 64 साल बीतने पर भी तड़पता है किसान हमारा।
3. यह जब तलक चलेगा तब तक तू न जागेगा तेरे एक होने पर नेताओं का सर झुकेगा

इसलिए–

उठ जाग कियान खड़ा हो,
तू चादर तान पड़ा हो,
तू बहुत सो लिया,
घर औरों का अबाद,
तू बरबाद हो लिया।

उथल पुथलकारी युग में - प्रेरक प्रसंग

– मोनिका आर्या

संस्कृति राष्ट्र और जाति की आत्मा है, आत्मिक उत्थान का चिन्ह है। सभ्यता सामाजिक व्यवहार की व्यस्था है। संस्कृति संस्कार से बनती है और सभ्यता नागरिकता का रूप है। संस्कृति हमें राह बताती है तो सभ्यता उस राह पर चलती है। संस्कृति न हो तो मनुष्य और पशु के विचारों में कोई भेद न रहे। सभ्यता न हो तो मनुष्य और पशु का रहन सहन एक–सा हो जाए। भारतीय संस्कृति जीवंत संस्कृति है जबकि पाश्चात्य संस्कृति जीवन मूल्यों, आदर्शों व परंपराओं से कटी अमंगलकारी है। इस भौतिक चकाचौंध में युवा शक्ति को व्यावहारिक पक्ष से अवगत कराने हेतु यहां पर प्रेरक प्रसंग उद्धृत किए जा रहे हैं।

1. चार अव्यावहारिक विद्वान

चार स्नातक अपने विषयों में निष्णात होकर साथ–साथ घर वापस लौट रहे थे। चारों को अपनी विद्या पर बहुत गर्व था। रास्ते में पड़ाव डाला और भोजन बनाने का प्रबंध किया। तर्क शास्त्री आटा लेने बाजार गया। बाजार से लौटा तो सोचने लगा कि पात्र वरिष्ठ है या आटा। यह तथ्य जानने के लिए उसने बर्तन (पात्र) को उलटा तो आटा रेत में बिखर गया। कला शास्त्री लकड़ी काटने गया। सुंदर हरे भरे वृक्ष पर मुग्ध होकर उसने गीली टहनी को काट लिया। गीली लकड़ी से जैसे तैसे चूल्हा जला। थोड़ा चावल जो पास में था, उसी को बटलोही में किसी प्रकार पकाया जाने लगा। भात पका तो उसमें से 'खुद बुद' की आवाज होने लगी। तीसरा पाक शास्त्री उसी का ताना–बाना बुन रहा था। चौथे ने उबलने पर 'खुद बुद' शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और व्याकरण के हिसाब से इस उच्चारण को गलत बताकर एक डंडा ही जड़ दिया। भात चूल्हे में फैल गया। चारों विद्वान भूखे सोने लगे तो पास में लेटे एक ग्रामीण ने अपनी पोटली में से नमक सत्तू निकालकर खिलाया और कहा– 'पुस्तकीय ज्ञान की तुलना में व्यावहारिक अनुभव का मूल्य अधिक है।' शिक्षा कैसे दी जाये क्या दी जाये– यह चलते–फिरते निर्णय लेने जैसा विषय नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन अनिवार्य हैं

2. भारतीय संस्कृति की गरिमा से अभिभूत सिकंदर

जब सिकंदर भारत पर आक्रमण हेतु निकला तब उसके गुरु अरस्तू ने उसे आदेश दिया था कि वह भारत से लौटते समय दो उपहार अवश्य लाए एक गीता, दूसरा एक दार्शनिक संत जो वहां की भाती हैं। सिकंदर जब वापिस लौटने को था तो उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि भारत के किसी संत को ढूंढकर ससम्मान ले आओ। सेनापति दण्डी स्वामी जिसका उल्लेख ग्रीक भाषा में डैडीमींग के रूप में हुआ है, से मिला। दण्डी स्वामी से उसने कहा– आप हमारे साथ चलें, सिकंदर महान आपको मालामाल कर देंगे। अपार वैभव आपके चरणों में होगी। अपनी सहज मुस्कान में दण्डी स्वामी ने उत्तर दिया– 'हमारे रहने के लिए शस्य–श्यामला भारत की पावन भूमि, पहनने के लिए वल्कल वस्त्र, पीने के लिए गंगा की अमृत धार तथा खाने के लिए एक पाव आटा पर्याप्त है। हमारे पास संसार की सबसे बड़ी संपत्ति आत्मधान है इस धन की दृष्टि में दरिद्र तुम्हारा सिकंदर हमें क्या दे सकता है।' शक्ति एवं संपत्ति के दर्प से चूर सिकंदर ने सेनापति की वार्तालाप को जब सुना तो विस्मित रह गया। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। आध्यात्मिक संपदा के धनी इस देश के समक्ष नतमस्तक होकर चला गया। जाते हुए रास्ते में यहां के वीरों द्वारा दी गई चोटों से सदा–सदा के लिए चल बसा। अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करना दूर की बात, वह अपने देश भी न पहुंच सका।

3. फूट डालो–लूट खाओ

जाति–पाति के नाम पर आज समाज बंट रहा है। स्वार्थी नेता समाज में फूट डाल रहे हैं। यह प्रचलन निराधार है। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। वह समाज का शत्रु होता है। एक दिन चोर अकेला रह गया। गिरोह के अन्य साथी बिछुड़ गये थे। सामने से तीन संपन्न आदमी आते दिखाई पड़े। अकेला चोर और तीन यात्री। घात कैसे लगे यह सोचने लगा चोर। अंततः चोर को एक तरकीब सूझी कि उनमें फूट डालकर एकाकी कर दिया जाय। पूछने पर उन्होंने अपनी जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र बताई। चोर ने पहले कमजोर शूद्र को पकड़ा और कहा –यह तो हमारे पुरोहित हैं, यह हमारी बिरादरी के हैं, इनसे तो कुछ नहीं कहना। तू इतनी संपदा कहां से लाया। बड़ी जाति वालों की बराबरी करेगा। पहले तेरी ही मरम्मत की जायेगी।' शूद्र पिटता भी रहा और जो पास में था, छिना बैठा। इसके बाद पंडित की बारी आई, कहा– 'पंडित को भिक्षा पर निर्वाह करना चाहिए। इतनी दौलत जमा करना अधर्म है।' सो उसने पंडित जी की धुनाई भी कर डाली और जो कछ उसके पास था, छीन लिया। तीसरा नंबर ठाकुर का था। उसने कहा– 'अभी तो आपका पैसा ले लेते हैं। पीछे आप हमारे गिरोह में शामिल हो जाना। जो लिया है उससे अनेक गुणा कुछ ही दिन में दिला देंगे।' ठाकुर ने दुर्गति कराने से पहले ही जो कुछ था, सो चोर को सौंप दिया।

फूट डालकर एक चोर ने तीन राहगीरों को लूटने में सफलता प्राप्त कर ली। इसका मूल कारण था, जाति भेद संबंधी मूढ़ मान्यता। हमारे राष्ट्र के पतन–पराभव का मूल कारण यही कट्टरता रही है। मुगल आक्रांताओं एवं फिरंगियों को इसी आधार पर इस शस्य–श्यामला धरती पर मध्यकाल में अपना अधिकार जमाने में सफलता मिली थी।

4. उत्थान–पतन का कारण

किसी मनुष्य ने पूछा– 'मनुष्य शक्तियों का भण्डार है, फिर वह डूबता–गिरता क्यों है? गुरु ने इसके उत्तर में अपना कमण्डल पानी पर फेंक दिया और दिखाया कि वह ठीक प्रकार तैर रहा है। पुनः उसे दिया और तली में छेद करके फैंका, तो वह डूब गया। गुरु ने बताया कि 'असंयम के छेद हो जाने से दुर्गुण घूम पड़ते हैं और मनुष्य को डूबो देते हैं। गाय का दूध यदि छलनी में दुहा जाय तो वह जमीन पर गिरेगा, गंदगी उत्पन्न करेगा। पालने का लाभ न मिलेगा। लाभ तभी है, जब दुहने का पात्र बिना छेद का हो। इंद्रिय शक्ति व मानसिक शक्ति को यदि कुमार्ग के छेदों से बहने दिया जाय तो मनुष्य की क्षमता इसी प्रकार समाप्त होकर रहेगी।'

5. लक्ष्मी का दुःख

एक व्यापारी के घर में बहुत क्लेश रहता था। गृह क्लेश से तंग आकर लक्ष्मी घर छोड़कर जाने को तैयार हो गईं। समझदार व्यापारी ने कहा– 'भले ही चले जाना, पर मेरे हाथ पर पैर रखकर जाना।' लक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया। व्यापारी ने दान करना प्रारंभ कर दिया। दूसरों की भलाई में प्रसन्न रहने लगा। घर में एकता बढ़ी, पुण्य बढ़ा, शांति हुई और लक्ष्मी रूक गईं। लक्ष्मी बोली– 'अब मैं नहीं जाऊंगी। जिस दुःख से जा रही थी, वह तो तुमने दूर ही कर दिया।'

आम के आम और गुठलियों के दाम!

–डॉ. धर्मचंद्र विद्यालंकार

तथागत बुद्ध और श्रीकृष्ण दोनों ही भारतीय समाज की महान विभूतियां मानी जाती हैं। हालांकि भगवान बुद्ध एक ऐतिहासिक महापुरुष थे, जिनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि हमें निश्चयपूर्वक ज्ञात है। लेकिन श्रीकृष्ण के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वे माईथोलॉजिकल अथवा पुराण पुरुष ही हैं। जिनके विषय में हमें कोई ऐतिहासिक और पुरातात्विक (Orkelogical) आर्केजॉलिकल प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। केवल महाभारत नामक महाकाव्य अथवा उसके आधार पर रचित पुराण, साहित्य, विशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण ही एकमात्र शब्द–प्रमाण उपलब्ध है। स्वयं जोकि पर्याप्त परवर्तीकाल में रचित हैं।

फिर स्वयं महाभारत की रचना एक व्यक्ति विशेष ने किसी निश्चित काल–खण्ड में भी नहीं की है, क्योंकि वह एक विकासशील महाकाव्य ही है। जिसका आरंभ में नाम भी जयकाव्य ही था। क्योंकि वह पाण्डवों की जय का गौरवगान करने वाला ग्रंथ ही था। इसका रचनाकाल पांचवी या छठी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होकर चौथी–पांचवी शताब्दी (ए.डी.) तक का है। इसके आरंभ का आदि पर्व और शांति भीष्म एवं वन और अनुशासन जैसे पर्व परवर्ती काल में रचित होने के कारण प्रक्षिप्तांश ही हैं। क्योंकि गुरु–शिष्य परंपरा के प्रचलन के कारण कई पीढ़ियों और शताब्दियों तक इस ज्ञान–ग्रंथ का सृजन और संपादन अथवा संवर्धन होता रहा है। अतएव आदिपर्व और प्रभास पर्वादि में ही श्रीकृष्ण को श्रमण–संस्कृति के मुकाबले में ब्राह्मण–पुरोहितों ने गुप्त–साम्राज्य का संरक्षण पाकर श्रीकृष्ण को अवतारधारी के रूप में निरुपित किया है, फिर मध्येशिया से आने वाली पशुचारी गूजर और आभीर अथवा जाट जैसी (यूची, कुषाण) जातियों से बाल लीलाएं भी उधार ली गई हैं।

ग्वाल संस्कृति या भूमि को ही संस्कृत भाषा में ब्रज कहा जाता है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ ही चरागाह है, पशुओं के लिए, जो भी पशुचारी जातियां अफगानिस्तान और मध्येशिया की ओर से पूर्व मध्यकाल में भारत भूमि में प्रविष्ट हुई थीं, उनके साथ–साथ ही कृष्ण कथा का क्रमिक विकास भी हुआ है। महाभारत ग्रंथ भले ही श्रीमद्भगवतगीता के समावेश के पश्चात पूर्ण हो गया है लेकिन उसके बाद आठवीं–दसवीं और बारहवीं से सोलहवीं शताब्दी तक रचित भागवत पुराण से ब्रह्मावैवर्त पुराण साहित्य में कृष्ण कथा का क्रमिक विकास देखा जा सकता है। यदि दसवीं शताब्दी में रचित भागवत पुराण में कृष्ण की बाल–लीलाओं का विशद वर्णन दशम् स्कंध में किया गया है तो बारहवीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित 'गीत–गोविंद' में राधा और कृष्ण के मध्य में प्रेम और श्रृंगार की भावना को दर्शाया गया है।

इसी परंपरा को पन्द्रहवीं शताब्दी के महाप्रभु चैतन्य के पुण्य प्रभाव से मैथिल कवि कोकिल विद्यापति ने अनवरत अग्रसर किया है। जहां पर भक्ति के साथ प्रेम और श्रृंगार (रोमांस) आकर एकाकार हो गये हैं। बाद में सोलहवीं–सत्रहवीं शताब्दी में जाकर ब्रह्मावैर्वत पुराण और दशश्लोकी गीता की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। भागवत पुराण से प्रभावित ब्रज भाषा के भक्त कवि श्री सूरदास ने अपने पदों का सरस गायन सोलहवीं शताब्दी में ही किया है। उन्होंने 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और गीत गोविंदकार की गेय परंपरा को मैथिल कोकिल विद्यापति की भांति अग्रसर और पल्लवित ही किया है। अतएव कृष्ण–कथा का विकास हम चौथी पांचवीं शताब्दियों से लेकर पंद्रहवीं सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी तक पाते हैं क्योंकि रीतिकालीन के हिंदी कवि मतिराम पद्माकर सेनापति और घनानंद तथा आलम ने भी इसी श्रृंगार मूलक भक्ति का विकास किया है।

कृष्ण–कथा की पृष्ठभूमि :

यदि हम और भी बहुत पीछे जायें तो कृष्ण–कथा के बीज बिंदु हमें वैदिक साहित्य में भी बिखरे मिलते हैं। स्वयं ऋग्वेद में एक कृष्णासुर का वर्णन है जोकि श्यामवर्णी (काले रंग वाला) है। वह अनार्य और आदिवासी ही प्रतीत होता है, अतएव अंशुमति अथवा यमुना नदी के तट पर आर्य देव इंद्र का प्रबल प्रतिरोध ही करता है। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार लगभग दस हजार काले दासों और छः हजार काली दासियों के देवराज इंद्र ने मौत के घाट उतार दिया था। अतएव मध्येशिया या फरगना (भरतगण) वर्तमान उज्बेकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान और पेशावर से होकर भारत में आकर आक्रमण करने वाले आर्यों की विजय–यात्रा का ही परिचय इस प्रकरण से मिलता है।

ऋग्वेद में ही एक और कृणांगिरस नामक कवि और ऋषि हैं जोकि वैदिक या भारोपीय आर्य ही प्रतीत होते हैं। कृष्णासुर को अपनाकर बाद में ब्राह्मण–पुरोहितों ने आत्मसात करके उसे अवतारी या लीलाधारी कृष्ण बना दिया है। यही क्यों उसे पुरंदर या इंद्र का गर्व खर्व करने वाला भी पुराणों में बताया गया है। इसीलिए सोलहवीं–सत्रहवीं शताब्दियों में आकर वह ब्रज भूमि को इंद्र (जल के देवता) के दारूण कोप से बचाने के कारण गोवर्धनधारी या अवतारी बालकृष्ण बन गये हैं।

चीनी तुर्किस्तान अथवा सिक्यांग प्रांत से अफगानिस्तान के मार्ग से भारत वर्ष के पश्चिमी पंजाब और सिंध में प्रविष्ट होने वाली यूची (जेटी) या फिर कुषाण (किसान) जाति का भी कृष्ण कथा के विकास में अनन्य अवदान है। ईसा पूर्व प्रथम और द्वितीय शताब्दियों में शकों और ग्रीकों को परास्त करके कुषाणों या यूचियों ने अपना साम्राज्य मध्येशिया के कूची और खोतान तथा काश्गर से लेकर अफगानिस्तान और पंजाब से लेकर मथुरा से बनारस तक विस्तृत कर लिया था। जिसके महान शासक किम कड़फसिस और सम्राट कनिष्क जैसे हुए थे। आगे इसी वंश परंपरा में हुविष्क और वासुदेव कुषाण भी हुए हैं। कुषाण शासक आरंभ में बौद्ध और शैव मतावलंबी थे। लेकिन शनैः शनैः वे ब्राह्मण धर्म या भागवत किवां वैष्णव मत के प्रभाव में आ गये थे। विशेषकर वासुदेव कुषाण या कृष्ण। यह संभव है कि इसी अंतिम कुषाण

सम्राट को ब्राह्मण शास्त्रकारों और धर्माचायों ने पौराणिक कृष्ण वासुदेव बना दिया है।

हमारे इस मंतव्य का एक आधार यह भी है कि ग्यारवीं शताब्दी के पूर्वार्ध (1010–1030 ई.) में महमूद गजनवी के साथ आने वाले अरबी इतिहासकार अलबेरूनी ने श्रीकृष्ण को पशुचारक यदु अथवा जट्ट–कुल में ही उद्‌भूत बताया है। जाट शब्द की निष्पति अधिकांश इतिहासकारों ने यदु या यादव शब्द से ही मानी है। राज्य सत्ता संपन्न सामंतों को ही मध्य पूर्व काल में ब्राह्मणों ने नर से नारायण (अवतार) बताकर उनसे दक्षिणास्वरूप बड़ी–बड़ी जागीरें और धन–द्रव्य प्राप्त किये हैं। अतएव हमारे मतानुसार पौराणिक लीलाधारी श्रीकृष्ण वासुदेव कुषाण अथवा कृष्ण भी हो सकते हैं। एक चौथे कृष्ण द्वैपायन वेद–व्यास हैं जोकि महाभारत और 18 पुराणों के रचयिता माने गये हैं। एक तो वे जन्मना ब्राह्मण है, अतएव उनका अवतारी बनना असंभव ही था। फिर उनके नाम की मोहर अथवा व्यास (कथा वाचक) उपाधि का उपयोग करके वोपदेव जैसे ब्राह्मण पुरोहितों ने सारे ही पौराणिक–साहित्य को प्राचीन और प्रामाणिक सिद्ध करने का भी उपक्रम किया है।

बुद्ध और श्रीकृष्ण :

उधर भगवान बुद्ध एक प्रामाणिक और ऐतिहासिक राजपुरुष हैं जोकि राजपाट त्यागकर सत्य के संधान हेतु वनगमन करते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा अथवा जीवों के प्रति दयाभाव और करूणा पर अतिरिक्त बल देकर धार्मिक क्षेत्र में होने वाली बलिप्रथा का प्रबल प्रतिरोध ही किया था। क्योंकि वैदिक मतावलंबी धर्माचार्य यज्ञ–याग के अवसर पर निरीह और निर्दोष पशुओं का वध करके उनके मांस का ही प्रसाद वितरण किया करते थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का भी इस क्षेत्र में प्रभूत पुण्य प्रभाव था। लेकिन उनसे ब्राह्मणाचार्यों को संभवतः इतना भयभाव नहीं था क्योंकि जैनमुनियों का बल आत्मसाधना पर अधिक था। सामाजिक समता की स्थापना और समाज–सुधार पर उनका इतना बल नहीं था जितना कि बौद्धधर्म के भिक्षुओं या उनके धर्मशास्ता तथागत बुद्ध का था।

अतएव ब्राह्मण–शास्त्रकारों ने अपने द्वारा रचित रामायण जैसे धर्मग्रंथ में बुद्ध को असुर ही कहा है। इससे भी इन महाकाव्यों की प्राचीनता और प्रामाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। वैसे भी पश्चिमोतरी भारत में जन्मे पांचवीं (480 ई.पू.) के पाणिनि की अष्टाध्यायी में कृष्णार्जुन जैसा सूत्र है, जिससे महाभारत की प्राचीनता ही सिद्ध होती है, लेकिन रामायण की रामकथा का उललेख न तो पांचवी शताब्दी ई.पूर्व. में रचित अष्टाध्यायी में ही है और न ही दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित पतंजलि के महाभाष्य में ही मिलती है। हालांकि महाभारत ने परवर्ती और प्रक्षिप्त पर्वों में रामकथा को अंर्तसमाहित करके उसको महाभारत से प्राचीन ही सिद्ध करने का प्रयास पुरोहित प्रवरों ने किया है। लेकिन स्वयं बाल्मीकीय रामायण में बुद्ध और जिन स्वामी के संदर्भ होने के कारण उनकी अर्वाचीनता स्वयं सिद्ध ही है। क्योंकि ये दोनों ही महाकाव्य विकासशील या ग्रोथ ऐपिक ही है।

दूसरी शताब्दी ई.पू. में छल–बल से पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य की राजसत्ता पाकर बौद्धों का मगध से लेकर मद्रदेश या वर्तमान स्यालकोट (पंजाब पाकिस्तान) का निर्मम नरसंहार किया है। अतएव महापंडित राहुल सांकृतायन पुष्यमित्र को ही पौराणिक राम और परशुराम मानते हैं। उनकी यह मान्यता सर्वथा निराधार भी नहीं है। क्योंकि ब्राह्मणों ने एक तीर से कई शिकार किये हैं। एक तो पुष्यमित्र को ही पौराणिक राम बताकर उसको बुद्ध के स्थान पर क्षत्रिय कुल भूषण ही सिद्ध किया है। क्योंकि उन्होंने शाक्य वंश को भी रघुवंश की ही एक शाखा अपने परवर्ती ग्रंथों में बताया है। दूसरे, वर्णव्यवस्था का विरोध करने वाले बुद्ध और महावीर स्वामी के सम्मुख उन्होंने राम और कृष्ण जैसे कल्पित पुराण पुरुषों को खड़ा करके अपनी वर्णव्यस्था का संरक्षण उनके माध्यम से कराया है। उदाहरण के लिए गीता के श्रीकृष्ण ने ब्राह्मणीय वर्ण–व्यवस्था को अपने द्वारा ही सृष्ट बताया है और स्वयं को ही संपूर्ण अवतार बताया है। भला क्या कोई महापुरुष इस प्रकार से आत्मश्लाघा करेगा या अपनी महिमा ही डीगें बघारेगा।

इसी प्रकार से गीता के नौवें अध्याय के एक श्लोक में स्त्रियों, शूद्रों (किसानों एवं श्रमिकों) तथा वैश्यों या व्यापारियों को अधम अथवा पापयोनि में ही उद्‌भूत दिखाया गया है–

मा हि पार्थ व्यापश्रित्य ये च स्यु अधमयोनयाः
स्त्री शूद्रस्तथा वैश्याश्च तेडपि यांति पामगतिम्। (9/32)

यदि वर्ण–व्यवस्था समाज में बनी रहती है तो क्रमिक असमानता के चलते ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता स्वयंमेव सुरक्षित और अक्षुण बनी रह सकती थी। अतएव राम, मनु और श्रीकृष्ण जैसे कल्पित महापुरुषों के माध्यम से जहां पर ब्राह्मण पुरोहितों ने अपनी आजीविका का अनवरत अर्जन किया है वहीं पर उनके नाम से उनके वंशजों को भी अपने अनुकूल बनाकर उनके द्वारा ही अपने विरोधी विचार वाले समता–स्थापक व्यक्तियों को असुर बताकर ठिकाने लगवाया है।

इसीलिए पूर्वमध्यकाल (7वीं से 10वीं शताब्दी) में ही ब्राह्मणों ने कभी की विदेशी और आक्रमणकारी हूण और शक जैसी अनार्य जातियों से संभूत शासक वंशों को ही आबू–पर्वत के यज्ञ के बहाने से अपने धर्म में दीक्षित करके उन्हीं की राज्यशक्ति का सहारा लेकर उन्होंने श्रमण संस्कृति का समूलोन्मूलन पश्चिमी भारत से किया है। विशेषकर राजस्थान और गुजरात से। दक्षिणी भारत के वैष्णव ब्राह्मण धर्माचार्यों ने विशेषकर राघवाचार्य और रामानुज ने दक्षिणी भारत के जैन शासकों को वैष्णव धर्म में दीक्षित करके ही श्रमण संस्कृति को छिन्न–मूल कर दिया था। उन्होंने रामराय व कृष्णराय और गोबिंदराय तथा विष्णुवर्धन नामक शासकों के नाम से ही ईश्वर–भक्ति का प्रचार–प्रसार करके जनमन में नर या नरेशों को ही नारायण के रूप में प्रतिष्ठिक किया है। यह ब्राह्मण धर्माचार्यों का अनुकूलन और आत्मसातीकरण के माध्यम से संस्कृतिकरण का ही प्रखर पुरोगम था। जहां पर उन्होंने धर्मविरोधियों का राज्याश्रय छीनकर उनको निर्मूल कर दिया था; वहीं पर उनसे कर्मकांड न कराने वाले और विधवा–विवाह रचाने वाले तथा अपने ही हाथों से कृषि कार्य करने वाली कृषक जातियों विशेषकर जाटों गूर्जरों, आभीरों और मराठों को भी व्रात्य या वर्षल (पतित या भ्रष्ट) क्षत्रिय बताकर उन्हें शूद्र संवर्ग में धकेल दिया था। इसी को कहते हैं "आम के आम और गुठलियों के दाम"।

चौ० लालचन्द जी से ममता

रधुवीर सिंह शास्त्री

चौ० छोटूराम जी चौ० लालचन्द जी के प्रति भारी श्रद्धा रखते थे। उनके कानूनी ज्ञान से तो प्रभावित थे ही, साथ ही वे यह भी महसूस करते थे कि चौधरी लालचन्द की तरक्की तमाम जाटों की इज्जत हैं।

उन्होंने फरवरी सन् 1913 में चौ० लालचन्द के साझे वकालत शुरू की और दोनों की यह साझी प्रेक्टिस अक्तूबर सन् 1921 तक चली। इनकी यह साझी वकालत प्रारम्भ से ही खूब चमकने लगी। इसका एक कारण तो यह था कि इलाके के सभी प्रतिष्ठित लोगों के साथ चौ० लालचन्द के खानदानी रसूख व ताल्लुकात चले आते थे, हाकिमों में भी उनका काफी रसूख था। इसलिए आते ही उनकी वकालत खूब जम गई थी। परन्तु जाटों में सबसे अधिक सरगर्म आर्यसमाजी लोग थे और चौधरी छोटूराम आर्यसमाजी होने के कारण शीघ्र ही उनके विश्वासपात्र बन गये, जब कि चौधरी लालचन्द एक सनातनी खयालात तथा दकियानूसी तौर–तरीकों के व्यक्ति थे, इसलिए जनसाधारण का झुकाव तुरन्त चौधरी छोटूराम की ओर हो गया। जब आर्यसमाजी जाटों पर सरकार विरोधी होने के कारण सरकार की कोपदृष्टि पड़ी तो चोधरी लालचन्द का परिवार सरकार के साथ मिला हुआ था। इसलिए आर्यसमाजी जाट इनसे खिंचे–खिंचे रहते थे। परन्तु चौधरी छोटूराम ने अफसरों के विरोध की तनिक भी चिन्ता न करते हुए आर्यसमाजियों की खुल कर सहायता की। इसलिए सारी जाट जनता चौधरी छोटूराम की समर्थक बन गई। उन दोनों की वकालत चमकने का यह एक दूसरा प्रबल कारण बन गया कि वकालत करने से पहले चौधरी लालचन्द 5–6 साल तक नायब तहसीलदार रहते हुए बन्दोबस्त का पूरा अनुभव प्राप्त कर चुके थे। इसलिए माल के काम में वे बहुत निपुण थे। इसलिए माल का काम तथा नम्बरदारी, सफेदपोशी और जैलदारी आदि के मुकदमें उन्हीं के सुपुर्द थे। दौरे में भी प्रायः वही जाते थे। दीवानी और फौजदारी का सारा काम चौधरी जी करते थे। आरम्भ में इनकी आय 15 हजार सालाना थी जो बढ़कर 20–20 हजार रुपया सलाना हो गई। पीछे चौधरी लालचन्द 1915 में पंजाब कौंसिल के मेम्बर चुने गये और प्रान्तीय रिकरूटिंग बोर्ड के भी मेम्बर बन गये। इस कारण वे वकालत के काम पर बहुत ही कम ध्यान दे पाते थे। अतः ज्यादा काम चौ० छोटूराम जी को करना पड़ता था। वे वकालत की आय में आधा भाग प्राप्त होने पर भी कार्य आधे से अधिक करते थे। एक बार चौ० लालचन्द जी ने जब अपनी कौंसिल की मेम्बरी तथा असिस्टेंट रिकरूटिंग अफसरीक की आमदनी में से आधा देना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार, यह कहकर कर दिया कि आपके पदों एवं कार्यों से हमारी कौनसी इज्जत बढ़ी है और उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए चौ० छोटूराम जी ने बराबर प्रयत्न किया। मांटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधारों के अनुसार जब प्रान्तीय कौंसिलों के चुनाव हुए, उन्होंने चौधरी लालचन्द जी के पक्ष में धुआँधार प्रचार किया और सफल बनाकर ही दम लिया और जब पिटीशन में वे मेम्बरी से हट गये तो तुरन्त रातों–रात भरतपुर जाकर वहाँ के तत्कालीन महाराज जी सर कृष्णसिंह से कहकर उन्हें उनके मंत्रिमंडल में नियुक्त कराया, क्योंकि शहरी वकीलों ने व्यंग्य किया था कि अब कौंसिल की मेम्बरी से हटने पर फिर लालचन्द को इसी नीम के नीचे बैठना होगा।

शहरी वकीलों की आशाओं पर इस प्रकार उन्होंने तुषारापात किया। जो लोग चौधरी लालचन्द और चौधरी छोटूराम की जोड़ी के इकट्ठा रहने में जाटों की उन्नति और अपनी हानि समझते थे, उन्होंने चौधरी छोटूराम को मशविरा देना शुरू किया कि चौधरी लालचन्द वकालत का काम कुछ नहीं करते और पंजाब कौंसिल की मेम्बरी तथा अम्बाला कमिश्नरी के असिस्टेंट रिकरूटिंग ऑफिसर की हैसियत से उन्हें जो आमदनी होती है, वह बड़ी काफी है, उसमें से ये आपकों कोई हिस्सा नहीं देते, जब कि वकालत की आय का आध ा भाग आप उन्हें यों ही बांटकर दे देते हैं, इसलिए आपको अलग हो जाना चाहिए। इसी प्रकार की सलाह चौधरी छोटूराम के कुछ घनिष्ठ हितैषियों एवं डिप्टी कमिश्नर मिस्टर हारकोर्ट ने भी दी।

साथ ही साझेदारी के कुछ सप्ताह बाद ही चौधरी छोटूराम को यह अनुभव हो गया कि चौधरी लालचन्द के और उनके स्वभाव–विचार तथा मनोवृत्ति में बहुत मौलिक अन्तर है, फिर भी उनका विश्वास था कि एक बार इकट्ठा काम शुरू करके अलग होने का परिणाम हमारी जातीय एवं सामाजिक उन्नति के लिए हानिप्रद सिद्ध होगा। हमें उस समय तक ऐसे भावों को मन में भी न आने देना चाहिए, जब तक कि इलाके में उतनी जागृति पैदा न हो जाये कि विरोधी शक्तियाँ हमारी अलहदगी का अनुचित लाभ न उठा सकें, तब तक हमें इकट्ठा ही रहना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने सन् 1921 तक उसी तन्मयता के साथ साझेदारी निबाही और फिर खुशी–खुशी दोनों ने अलग काम शुरू किया।

जब–जब चौधरी छोटूराम जी के भक्त उनसे चौधरी लालचन्द की बजाय उनको ही आगे बढ़ने की सलाह देते तब–तब उनका यही उत्तर होता कि चौधरी लालचन्द जी मेरे से बड़े होने के कारण अधिक हकदार हैं। इस स्थान पर पहुंचने और उनके बढ़ने से हम सबका सिर ऊँचा होता है। फौजी भर्ती के सिलसिले में जब सरकार ने अच्छा काम करने वालों को मुरब्बे बाँटे तो कमिश्नर ने गवर्नर के निर्णय पर लिखा था कि काम चौ० छोटूराम ने अधिक किया है, इनाम दिया जा रहा है उनसे कम काम करने वालों को। जब चौधारी जी को यह मालूम हुआ तो उन्होंने कमिश्नर साहब से कहा, पहला हक चौधरी लालचन्द जी का है। काम भले ही मैंने अधि ाक किया, किन्तु जिले में मुख्य भर्ती अधिकारी वही थे। कमिश्नर चौध

ारी छोटूराम जी की इस प्रकार की निःस्वार्थ भावना पर स्तब्ध एवं चकित रह गए।

चौधरी छोटूराम हर मामले में और हर मौके पर चौधरी लालचन्द जी को आगे रखना चाहते थे किन्तु चौधरी लालचन्द जी शाही दिमाग तथा स्तर के आदमी थे। वे खतरे और कठिनता के कामों से बचते थे, संघर्ष का जीवन उन्हें पसन्द न था। यही कारण था कि समय और स्थितियों ने दोनों को न केवल वकालत में, बल्कि सेवा कार्यों में, भी आगे अलग–अलग कर दिया, किन्तु सद्भावनाएँ दोनों में बराबर रहीं।

अलग वकालत –पौने तीन हजार रुपये मासिक तक होने लगी। चौधरी लालचन्द जी की भी प्रायः इतनी ही आमदनी हो जाती थी। फौजदारी के प्रायः सभी बड़े मुकदमों में ये ही दोनों पक्षों की ओर से पेश होते थे।

प्रथम युद्ध की समाप्ति – 'सर का खिताब'

11 नवम्बर 1918 को यूरोप का प्रथम महायुद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के दौरान और अंत में अंग्रेज सरकार ने उपाधियों, नकदी, जमीन और सनदों द्वारा युद्ध प्रयत्नों में सहायता देने वालों को सम्मानित किया। चौधरी छोटूराम को जब कमिश्नर साहब ने यह सुनाया कि उन्हें भी सरकार ने 'रावसाहब' की उपाधि दी है तो चौधरी साहब बजाय प्रसन्न होने के गंभीर हो गये और बोले इससे तो मेरे किये पर आपने पानी फेर दिया। मैंने उपाधि ग्रहण के लालच में अपने भाईयों को युद्धस्थल पर नहीं भेजा, अपितु इसलिए भेजा था कि हिन्दुस्तान को और नये लोगों का गुलाम न बनना पड़ें। कमिश्नर साहब उनकी इस बात से चकित रह गये।

उन्होंने कमिश्नर को यह भी लिख कर दिया कि जमीनें, नकदी तथा जो भी कुछ इनाम सरकार देना चाहे वह पहले उन लोगों को दे जिन्होंने काम तो किया है अधिक, किन्तु सरकारी लोगों की निगाह में वे छोटे हैं। कमिश्नर ने उनकी बात को माना। किन्तु इससे बड़े लोग घबराये और उन्होनें चौधरी छोटूराम के इस झुकाव को अपने हितों पर कुठाराघात बताया और कहा जमीन जो इनाम में देनी हैं वह तो इन्हीं लोगों में बंट जायेगी, हमें क्या मिलेगा। चौधरी छोटूराम ने उनसे कहा, कुछ गरीबों के पास पहुँचने दो, तुम्हारे पास तो ऐश–आराम के अब भी काफी साधन हैं।

हमें जिन पर गर्व है

जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला के आजीवन सदस्य श्री भूप सिंह पुवार, गांव गोसाई खेड़ा (जीन्द) के सुपुत्र अभिनव पुवार ने IIT/JEE Advanced की अखिल भारतीय परीक्षा में 545वॉ स्थान प्राप्त किया है। अब इनका लक्ष्य IIT दिल्ली, मुंबई या कानपुर से B.Tech करना है। अभिनव ने 12वीं की परीक्षा CBSC द्वारा आयोजित राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर–19, चंडीगढ़ से 91.20 प्रतिशत अंकों से पास की है। अभिनव ने किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत होने वाली अखिल भारतीय परीक्षा पास की है तथा फैलोशिप अवार्ड के लिए इनका चयन हुआ है।

श्री रणधीर सिंह जागलान के सुपुत्र राहुल सिंह जागलान ने 10वीं की परीक्षा CBSC द्वारा आयोजित सेंट जोन्स स्कूल, चंडीगढ़ से 10 सीजीपीए हासिल कर अपने स्कूल और माता–पिता का नाम रोशन किया है। उसने इसका श्रेय स्कूल के शिक्षकों व अभिभावकों को दिया है। मकान नं. 898, सेक्टर–16, पंचकूला के निवासी, राहुल के पिता हरकोंबैंक में सीनियर अकाउंटेंट व माता अनीता सिंह जागलान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैक्टर–6 में लेक्चरार है।

Saurabh completed his BTech and M.Tech from Department of Electrical Engineering, IIT Kharagpur. He has been a brilliant student throughout his academic career. He secured 331 marks out of 340 in GRE, a world level examination used for admission to graduate courses in the universities in USA. Previously, he had secured a rank of 881 in IIT Joint Entrance Examination, 2011. He had also scored 95.2 % in Matriculation and 94.4 % in CBSE 12th Board examination in 2011, along with 100% marks in Mathematics. He was also among the top 300 students in India to clear the Chemistry Olympiad, organised by TIER Mumbai in 2011. Present Address: Flat No. C-63, GH-92, Sector-20, Panchkula, M-09417666312

We are proud of Subodh Sihag, son of Shri Rajveer Sihag, Assistant Manager, Harco Bank, hailing from village Sisai Bola, district Hisar, on his excellent performance in 10+2 CBSE board examination (Commerce Stream) as he secured 92.2 % marks. He was a student of Moti Ram Arya Senior Secondary Model School, Sector-27A, Chandigarh. Present Address: Flat No. C-63, GH-92, Sector-20, Panchkula, M-9417666312

जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला के समस्त सदस्यगण इन सबकी शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

उथल पुथलकारी युग में - प्रेरक प्रसंग

– मोनका आर्या

सांस्कृतिक चेतना का आलोक दिग–दिगन्त में फैले इस उद्देश्य से प्रेरक प्रसंग युवा पीढ़ी के जीवन–निर्माण हेतु उद्धृत है।

1. आपस की लड़ाई

कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। एक बार किसी बात पर गंगदत्त नामक मेंढक सबसे नाराज हो गया। सभी ने उसे मनाया लेकिन उसका गुस्सा शान्त नहीं हुआ। वह उनको सबक सिखाना चाहता था। चम्पक नाम के एक बूढ़े सांप को देखकर उसके मन में विचार आया कि इसके द्वारा बदला लिया जा सकता है। उसने चम्पक से दोस्ती कर ली और अपने साथ कुएं में ले गया। सांप ने एक–एक करके सारे मेंढकों को खा लिया। इस काम में गंगदत्त ने भी उसकी सहायता की। आखिर भूखा चम्पक गंगदत्त की तरफ ललचायी नजरों से देखने लगा। गंगदत्त ने अपनी दोस्ती याद दिलाई, लेकिन सांप ने उसकी एक न सुनी और उसको चट कर गया। घर के झगड़ों में बाहर वालों को डालने का यही परिणाम होता है।

2. समय की परीक्षा

एक किसान के चार बेटे थे। उनकी बुद्धिमता जांचने के लिए बेटों को बुलाकर किसान ने एक–एक मुट्ठी धान दिए और कहा– इनका जो मर्जी हो सो करो। एक ने उसे छोटी वस्तु समझा और चिड़ियों को फैंक दिया। दूसरा उन्हें उबालकर खा गया। तीसरे ने संभालकर डिब्बे में रख दिया, ताकि कभी पिताजी मांगेगें तो उन्हें दिखा सकूं। चौथे ने उन्हें खेत में बो दिया और टोकरा भर धान पिता के सामने लाकर रख दिया।

पिता ने बोने वाले बेटे को अधिक समझदार पाया और बड़ी जिम्मेदारियों के काम उसी के सुपर्द किये। कहा – परिवार में ऐसे ही गुण विकसित करने पड़ते हैं। ऐसी जिम्मेदारी निभा सकने वालों को ही परिवार का भार सौंपा जा सकता है भगवान भी ऐसा ही करता है।

3. गांधी जी व उनकी माँ

गांधी जी छोटे थे। बड़े भाई ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वे रोते हुए माँ के पास शिकायत करने गये। माँ ने कहा – तू भी उसे मार। गांधी जी माँ पर बिगड़े और कहा – "जो गलती करता है, उसे तो रोकती नहीं। उल्टे मुझे भी वही गलती करना सिखाती है।"

माँ ने कहा – "बेटा! मैं तो तेरी परिक्षा ले रही थी। यदि परिवार के सदस्यों के प्रति तेरी भावना का इसी तरह विकास होता रहा, तो आगे चलकर तेरे मन में समग्र विश्व–समुदाय के प्रति यही भावना पनपेगी। यह शिक्षण इसी पाठशाला में तो मिल सकता है।"

गांधी जी इसी कारण महान बने एवं विश्व–बंधु बापू कहलाए।

4. भाई भार नहीं होता

एक महात्माँ पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, उसी समय एक दस वर्षीय लड़की अपने दो वर्ष के भाई को गोदी में लिए पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रही थी। महात्मा ने कहा– "बच्चे, तू इतना भारी बोझ गोद में लिए कैसे चढ़ पायेगी?"

लड़की ने तुरन्त उत्तर दिया– "बाबा, यह बोझ नहीं भाई है।" जहां प्रेम व भावना होती है, वहां कोई काम भारी नहीं होता, अन्यथा भावना न हो, तो जीवन ही भारी लगने लगे। सच्ची पारिवारिकता वही है, जहां अन्तः से उद्भुत भाव निष्ठा ही सर्वोपरि मानी जाती है।

5. संयुक्त रहने का लाभ

एक व्यक्ति के पास रेशम का थान था, धागे आपस में लड़ने लगे। अलग–अलग रहने की सबने ठानी। दर्जी ने उसके टुकड़े काट दिए। एक जगह खजूर की पत्तियों थी। सूखी और बिखरी पड़ी थी। उन्होंने मिल जुलकर रहने का निश्चय किया। माली ने इकट्ठी करके उनकी चटाई बुन दी! रेशम की धज्जियां दुकान–दुकान पर मारी–मारी फिरी, किसी ने नजर उठाकर भी उन्हें नहीं देखा, जबकि चटाई का गट्ठा हाथों–हाथ बिक गया। अलग होने और शामिल रहने का अन्तर दोनों ने समझा और भविष्य के लिए सही रास्ता अपनाया।

हमे जिन पर गर्व है

जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला के आजीवन सदस्य श्री सतीश कुमार के सुपुत्र संजीव (# 1348, Sec.-39-B, Chd.) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा 2016 शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेन्डरी स्कूल से 9.2 CGPA प्रतिशत अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की।

जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला के समस्त सदस्यगण इनकी शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

सम्पादक मंडल

संरक्षक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)
सम्पादक : श्री गुरनाम सिंह, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत)
सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172–2654932 फैक्स : 0172–2641127
Email : jat_sabha@yahoo.com

Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सम्पादक गुरनाम सिंह ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।